

walking out... (Interruptions)... At this stage the hon. Member left the Chamber.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please... (Interruptions)...

श्री हंस दत्त यादव : ये सरकार के लोग चुप क्यों बैठे हैं ? उनके पास कोई जवाब है कि नहीं ? ... (व्यवधान) ...

श्री शंकर दयाल सिंह : आप कहिए कि डाई बजे सरकार इस विषय पर बयान दे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

उपसभापति : अगर आप लोग अपनी जगह पर नहीं जाएंगे तो

I will adjourn the House three to four minutes early. Beyond that I cannot do anything. I have asked the Government and Government has promised me that they would come back. Beyond that I cannot do anything and I adjourn the House till 2.30.

The House then adjourned for lunch at fifty-seven minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri V. Narayanasamy) in the Chair.

RESOLUTION SEEKING CONTINUATION OF RESERVATION POLICY IN PROMOTION/APPOINTMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN CENTRAL SERVICES

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Satya Prakash Malaviya to continue. He is not here. Shrimati Satya Bahin.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी, जो आपने मुझे समय दिया । चूंकि यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक न्याय से ताल्लुक रखता है, इसलिए मैं सबसे पहले तो सामाजिक न्याय और मान-

वीय मूल्यों के मसीहा बाबा साहब डा. अम्बेडकर जी की स्मृति में प्रणाम करती हूं। मान्यवर, माननीय श्री गौतम जी ने जो यह अपना निजी विधेयक लेकर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बड़ा दुःख की बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस दिन बंचारे अकेले थे, जिस दिन उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था ।

श्री संघप्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : काफी हैं आप सद लोगों के सद्भाव जानने के लिए। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सत्या बहिन : आज भी इनकी पार्टी के श्री माथुर जी हैं, मैं कहूंगी कि वह अंत तक रहें ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : नहीं, आप कहें तो मैं चला जाऊंगा । ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सत्या बहिन : आपको रहना ही चाहिए । भागना नहीं चाहिए । ... (व्यवधान) ... मैं इनकी जहिनियत की बात करती हूं, इनकी मानसिकता की बात करती हूं कि उस दिन भी दूभांग्य से दो ही सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपस्थित थे और दोनों ही दलित वर्ग के थे, जिसमें एक ने उपस्थित किया था और दूसरे ने बोलना था, तीसरा कोई था नहीं । तो यह इनकी मानसिकता का सवाल है ।

मान्यवर, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यूं तो सारा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है —हिन्दू धर्म के पथ-भ्रष्ट ठोकेदारों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है और दलित वर्गों को, जहां पीड़न का सवाल है, जहां अत्याचार का सवाल है, वहां ये लोग अगूआ रहे हैं, चाहें किसी भी सरकार का किसी भी राज्य में शासन हो । मैं

दोहराना नहीं चाहती लेकिन इसी सदन में और लोक सभा में भी और सदन के बाहर भी बार-बार इन बातों पर चर्चा की जाती रही, बार-बार चिंता व्यक्त की जाती रही कि दलितों को उनके अधिकार और सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। यह किसी शासन व्यवस्था का या सामाजिक व्यवस्था का अहसान नहीं है, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है और दलितों को अधिकार मिले, यह उनका अधिकार है, कोई खैरात नहीं है। मान्यवर, खैरात की तरह से अगर दिया जाता है तो मैं समझती हूँ कि वह अपमान जनक है और वह लज्जा-जनक है, चिंता की बात है। महोदय, मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ और पूर्ण आत्म-संतोष के साथ यह कहना चाहती हूँ कि जब से कांग्रेस पार्टी की हकूमत, चाहे केन्द्र में रही हो, राज्यों में रही हो, कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व पर किसी भी दलित वर्ग को कोई संदेह नहीं है। जो भी योजनाएं बनीं, जो भी कार्यक्रम लागू हुए, उनमें दलितों के आरक्षण के लिए, दलितों के संरक्षण के लिए और दलितों के आर्थिक उत्थान को प्रमत्तता मिली है और साथ ही यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक चिंतन, सामाजिक सोच और भारत का जो सामाजिक ताना-बाना है, जो धर्म पर आधारित है, जो जातियों पर आधारित है, वह इतना दूषित है, इतना प्रदूषण है उसके अंदर कि जो भी अच्छा कार्य, जो भी सामाजिक न्याय की बात या कार्यक्रम लागू होते हैं सरकार की तरफ से, उनका जो क्रियान्वयन होता है वह सही नहीं हो पाता। यह सरकार भी जानती है, राजनीतिक दल भी जानते हैं, जो समाज में सुविधाभोगी वर्ग है, वह भी जानता है और जो दलित है, पीड़ित है, वे भी जानते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, जो जागृति पैदा की थी, जो प्रेरणा दी, जो रोशनी दिखाई, उसका एक सबसे बड़ा मौलिक लाभ हुआ है, वह

यह हुआ है कि दलितों में एक संगठन आयम हुआ है और अपने अधिकार के लिए इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने का आत्म-विश्वास पैदा हुआ है जो बहुत अच्छी बात है और भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। तरह-तरह से जातियों के पोषक, धार्मिक मान्यताओं के पोषक और पवित्र मान्यताओं के नहीं उन मान्यताओं के जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में कलंक है, मनु स्मृति की शासन व्यवस्था और वह मानसिकता जो आज इंसान इंसान के अंदर इतना बड़ा फर्क पैदा करती है और यह फर्क, यह असमानता हिन्दू धर्म की देने है, चाहे वह अज्ञानतावश हो, चाहे जान-बूझकर एक ऐसी व्यवस्था दी गई हो।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो व्यवस्था है—यह धर्म की व्यवस्था, यह जातियों की व्यवस्था, यह उपजातियों की व्यवस्था, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं, लेकिन समाज भोग रहा है, व्यवस्था भोग रही है, सरकार चिंतित है।

राजनीतिक दल मंचों से बात करते हैं। राजनीतिक मंचों से, सड़क से, गलियों में बात करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बात करते हैं कि कहां हमको राजनीतिक लाभ मिलता है। लेकिन इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जिस बात को कहते हैं उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं। मान्यवर, मैं चुनौती के साथ कहती हूँ कि कोई भी साइंस, कोई भी मेडिकल साइंस, कोई जनैटिक थ्योरी नहीं जो इंसान-इंसान में भेद को बतावे। आज कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डाक्टर, कोई भी अनुसंधानकर्ता इस बात को सिद्ध कर दे कि दलितों के खून में और सुविधाभोगी वर्ग के खून में या विभिन्न धर्मों के खून में या उनकी शारीरिक संरचना में कोई भेद है, कोई फर्क है? अगर कोई फर्क नहीं

है, कोई भेद नहीं है तो इतना भेदभाव सामाजिक विचारों में और व्यवहार में क्यों है ? मान्यवर, कई बार सदनों में चिन्ता होती है, हम लोक जिक्त करते हैं, उस पर बड़-बड़कर हिस्सा लेते हैं और सभी दलों के लोग यह बात कहते हैं कि दलितों पर फलावी जगह अन्याय हुआ और यहाँ पर उनकी अधिकार उनकी नहीं मिल पा रहे हैं। मान्यवर, सवाल कहने का नहीं है, सवाल करने का है। बोलने से ज्यादा हमें अपने व्यवहारिक आचरण को शुद्ध करने का है जो हम कहते हैं और जो बोलते हैं, वह हम दिल से करना चाहते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, प्रसिद्धि पाने के दृष्टिकोण से नहीं, लोकप्रियता के दृष्टिकोण से नहीं। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, यह विचार होना चाहिए।

मान्यवर, पिछले दिनों 6 दिसम्बर को संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की पण्यतिथि थी और 14 अप्रैल—जिस दिन बाबा साहेब का जन्म हुआ था। मान्यवर, दलित वर्ग में, दलित समुदाय में इन दोनों दिन का बहुत महत्व है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बाबा साहेब ने संविधान की रचना दलितों के लिए अकेले नहीं की थी, पूरे राष्ट्र के लिए की, मानवता के लिए की, सामाजिक व्यवस्था के लिए की और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए की। लेकिन उस दिन 6 दिसम्बर को जो हुआ, मैं समझती हूँ कि दलित वर्ग इसे कभी भूल नहीं सकता।

श्री सच प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, मैं, आधा मिनट लूंगा। बहन जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पौलिटिक्स प्ले करने के लिए बहुत अझाड़े पड़े हुए हैं। अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बिल पर बोलिए। इधर-उधर घूमफिर कर अपना समय न नष्ट कीजिए, न सदन का समय नष्ट कीजिए, मैं हाथ जोड़ना हूँ। इस

राजनीति से कोई लाभ होने वाला नहीं है और चापलूसी की राजनीति से और न आलोचना की राजनीति से। किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा, उन्हें पहुंचाना चाहिए, इस पर बोलिए आप।

श्रीमती सत्या बहिन : गौतम जी, क्षमा करें, मैं बोलना चाहती हूँ आरक्षण पर ही बोल रही हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You don't tell a Member how to speak. It is for the Member to decide how to speak... (Interruptions)...

श्री सच प्रिय गौतम : अन्त्यर्क विषय को बाहर बात क्यों होनी चाहिए।

Is it relevant? It should be relevant... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You cannot dictate to the Members to speak in the way you want. Let the Member speak in her own style... (Interruptions)... Please sit down. ... (Interruptions)...

श्रीमती सत्या बहिन : मान्यवर, मेरा समय खराब कर रहे हैं, मेरे समय में यह समय न जोड़ा जाए। मेरा जो वक्त इन्होंने खराब किया उसे मायनस कर दिया जाए। मान्यवर, मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि किस तरह से लोगों की मानसिकता है दलितों को अपमानित करने की, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को अपमानित करने की।

मंदिर का शिलान्यास कराया, शिलान्यास कराया, हमने इतना बड़ा सम्मान दिया, कितना बड़ा ड्राया, वाह। क्या कहने इस ड्राय के। ये भूल जाते हैं कि देश का जितना निर्माण हुआ है, देश में जितना राजनीतिक, सामाजिक कार्य हुआ है, या निर्माण कार्य हुआ है, रचनात्मक कार्य हुआ है, विकास के कार्य हुए, बिना दलितों के योगदान के, बिना उनके खून-पसीने के,

बिना उनके परिश्रम के कोई काम न तो शुरू हुआ न उसका अंत हुआ। मान्यवर, मैं यह बताना चाहती हूँ, इसमें कोई पोलिटिक्स नहीं है। ये सच्चाई है। कौन व्यक्ति करता है ये? श्रमिक वर्ग कौन है? लेकिन श्रम का मूल्य नहीं मिलता। श्रम करने वाले को उसका अधिकार नहीं मिलता। उसका मानसिक शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण तो होता ही है। मान्यवर, जो अत्याचार, जो बलात्कार, जो मानसिक उत्पीड़न दलित वर्ग का होता है, उसकी पीड़ा न केवल दलित नेताओं ने बल्कि अन्य लोगों ने भी विरोध का इजहार करके व्यक्त की। आज समय की आवश्यकता है मान्यवर, कि हमें समाज की मानसिकता को बदलने के लिए गांव-गांव में जाना होगा। केवल संसद में बैठकर, अपनी बात कहकर या अपनी बात अखबारों में प्रचारित करके हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते आज जो दलित वर्ग की दुर्दशा देहातों में है, जो बिना पढ़े-लिखे लोग हैं, जो श्रमजीवी हैं, श्रम पर आधारित हैं, खेतों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, उनकी दशा और शिक्षा ग्रहण करके दफ्तरों में आ जाने वालों लोगों की दशा भी कोई अच्छी नहीं है। दोनों अपने हालात में उसी स्थिति में जी रहे हैं। वही यातना भोग रहे हैं। वही मानसिक तनाव उनके ऊपर है। वही मानसिक दबाव उनके ऊपर है।

महोदय, कहीं उनके अधिकारों का हनन किया जाता है चाहे दफ्तरों में किआ जाता हो, सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का और चाहे खेत में काम करने वाले किसान का। महोदय, कांग्रेस सरकार ने कई बार प्रयास किए। जो संवैधानिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, दलितों के 22 प्रविशित आरक्षण को पूरा करने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी है। संविधान में तो व्यवस्था है मान्यवर, कि दलित वर्ग को

उनका अधिकार आरक्षण के अनुपात में हर स्थिति में मिलना ही चाहिए लेकिन अगर देश भर में सर्वे कराया जाए, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हर राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तरों पर अगर आप सर्वे कराएँ कि दलित वर्ग की आबादी क्या है और दलित वर्ग के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? कितने लोग आज सरकारी नौकरियों पर आरक्षण के सहारे आए हैं? उपाध्याय महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि कई बार आरक्षण के नाम पर ये कहा जाता है कि जो आरक्षित स्थानों पर लोग आते हैं, उनमें पूरी योग्यता नहीं रहती। मैं इस बात को बड़े जोरदार शब्दों में नकारना चाहती हूँ कि यह भ्रम है और एक बहुत बड़ा आरोप है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देखे लीजिए, अगर दलितों को वही सुविधाएँ, वही साधन, और वही रास्ते मिलें तो कोई कह नहीं सकता कि दलित वर्ग के लोगों में कोई योग्यता कम होती है।

मान्यवर, बाबा साहेब अम्बेदेकर ने जिन परिस्थितियों में अपना जीवन आरम्भ किया, अपना कैरियर शुरू किया वह समय कोई अच्छा नहीं था। तब भी बहुत दुर्भाग्यवाजों और असमानताओं का बोलबाला था। उन सब चुनौतियों को पार करते हुए बाबा साहेब अम्बेदेकर ने अपना जो व्यक्तित्व बनाया वह राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है और उनका व्यक्तित्व और उनका संघर्ष जिस लक्ष्य पर पहुंचा, जिस स्थान को उन्होंने प्राप्त किया, जिस गरिमा को उन्होंने सुशोभित किया, वह समाज की उन मानसिकताओं को कि दलितों में जो आरक्षण के सहारे आते हैं, उनमें पूरी योग्यता नहीं होती, इसको खोखला सिद्ध कर दिया है।

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि स्वाल मानसिकता का है। मैं इस विषय पर बोलते हुए पूर्व प्रधान मंत्री प्रो. स्वरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम और अपनी

स्वर्गीय नेता श्री राधाब जी का नाम लेना नहीं भूलूंगी। उन दोनों की स्मृतियों को साक्षी करके जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक है, मैं कहना चाहती हूँ कि जो उन दोनों ने प्रयास किए और ईमानदारी से प्रयास किए चाहे वह 20 सूत्री कार्यक्रमों के तहत किए हों, चाहे वह विशेष भर्ती अभियानों को चलाकर किए हों। इन्दिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया या चाहे वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न हो चाहे बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने का कार्य हो उनमें दलितों के उत्थान का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। बंधुआ मजदूर कोई दूसरे नहीं थे, दलित वर्ग के लोग थे, पीड़ित वर्ग के लोग थे, उपेक्षित वर्ग के लोग थे। इनको पूरा लाभ नहीं मिलता था। इनको उन्होंने आवासन दिया था। इनको जानवरों की भांति माना जाता था। अधिकार तो कुछ था ही नहीं केवल जिम्मेदारियाँ थीं। थम करो, जी तोड़ मेहनत करो और जो मिल जाए वही खा लो। नहीं मिले तो भूखे रहो। इन्दिरा जी ने उनको मुक्ति दिलाई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लोगों को मजबूरी से मुक्त कराया। जो मजबूरियाँ थी दलितों की, गरीबों की, पीड़ितों की उनको दूर किया। मान्यवर, कांग्रेस की सरकार के जमाने में डिपार्टमेंट आफ पर्सनल का एक सरकारी निर्देश निकाला था जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों की सी. आर. एक ग्रेड ऊपर मानी जाएगी और जब-जब उनकी पदोन्नति का प्रश्न आएगा तो सी. आर. का घड़ा महत्व होता है, उसमें ग्रेड हो तो बँटर माना जाएगा, बँटर हो तो बैस्ट माना जाएगा।

एक ग्रेड ऊपर रखकर उसकी पदोन्नति का ध्यान रखा जाएगा लेकिन मैं समझती हूँ कि इस फसल का कोई लाभ उन्हें मिला नहीं है जबकि ईमानदारी के साथ यह एक सरकारी फसल था। जब प्रोमोशन का स्वाल आता है तो उस प्रोमोशन को ध्यान में रखते हुए उनकी सी. आर. पहले ही

हराब कर दी जाती है। अयोग्य तो पहले ही घोषित कर दिया जाता है। वह दलित वर्ग में पैदा हुआ है पहली तो यही उसकी अयोग्यता है। अगर योग्य होता तो वह किसी अच्छे घर में पैदा हुआ होता, किसी दूसरे वर्ग में पैदा हुआ होता लेकिन यह उसके बस की बात नहीं है।

धर्म के नाम पर एक आडम्बर रचा जाता है, एक पर्दा डाला जाता है। यह कहा जाता है कि धर्म की यह व्यवस्था है। जाति व्यवस्था, वर्गीकरण जो समाज का किया गया है उसमें कहा जाता है कि यह भाग्य का दोष है, भगवान की व्यवस्था है इंसान की व्यवस्था नहीं है। मन्दिर का शिलान्यास तो दलित से कराया जाता है लेकिन जब मन्दिर में मूर्ति की स्थापना हो जाती है तो घुसने से वह अपवित्र हो जाता है। शिलान्यास करने वाला अगर उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ता तो शायद हमारा पूरा हार्दिक सहयोग होता। लेकिन ऐसी व्यवस्था में दलितों का धर्म क्यों सराब किया जाता है।

स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था है कि बच्चों को आरक्षण के अनुपात से प्रवेश दिया जाए। लेकिन मैं जानती हूँ कि कितना उत्पीड़न, तनाव उनके लिए पैदा किया जाता है। मानसिक शोषण उनका किया जाता है। हतोत्साहित किया जाता है। शुरू से ही एस. सी. एस. टी. के बच्चों को कहा जाता है कि इस लाइन में लग जाओ, उस लाइन में लग जाओ। शेड्यूल्ड कास्ट्स को वजीफा देने के लिए यह लाइन है इसमें लग जाओ। इससे कितनी मानसिक वेदना होती है बच्चों को। कितनी तकलीफ होती है।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : दूसरे वक्तव्यों पर भी रहम कीजिए।

श्रीमती सत्या बीहन : मैं कम ही समय लूंगी। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आरक्षण का जो प्रश्न है यह आरक्षण हर स्थिति में होना चाहिए। जो इसके लिए

दोषी है, जो इस आरक्षण को पूरा नहीं करते उनके बारे में देखा जाए कि आरक्षण पूरा क्यों नहीं हुआ। अगर इसका सर्वे कराया जाए तो बड़े पदों पर दो या तीन प्रतिशत से ज्यादा लोगों को नहीं पाएंगे। हां, सफाई कर्मचारियों में सौ फीसदी पाएंगे बल्कि इनमें तो इतने भी ज्यादा पाएंगे क्योंकि सफाई कर्मचारी का कोई काम करेगा नहीं। मैं चाहूंगी इसकी जांच होनी चाहिए। कई सरकारी संस्थानों में चाहे रेलवे हो, चाहे दूसरा कोई विभाग हो, सुना जाता है जब क्लास-फोर की या सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है तो जो जगह आरक्षित नहीं होती उन जगहों पर भी अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती कर दी जाती है। तो दूसरी गैर-अनुसूचित जाति के लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। उनका नाम लिखा होता है कि फलां पीडित जी, गप्ता जी, या अह्जा जी। ये लोग अपने घरों में बैठे होते हैं और किसी शेड्यूल कास्ट आदमी को काम करने के लिए भेज देते हैं और उसको बदले में एक चौथाई तनखाह दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि इन बातों की जांच होनी चाहिए।

एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, लखनऊ में बाबा साहेब के नाम एक विश्वविद्यालय बनाने की बात थी और उससे हमें बड़ी आशा बंधी थी, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से कुछ रचनात्मक काम होगा, कुछ रिजल्ट्स सामने आएंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, लोगों को अवसर मिलने शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्रों में ये लोग आगे बढ़ेंगे। परन्तु दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस की चुनावों में पराजय हुई और हम लोग विपक्ष में बैठे, केन्द्र में और राज्यों में भी। जहां हमने आशा की थी कि

अगले वर्ष यह काम पूरा हो जाएगा, उसका उद्घाटन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रदेशों और केन्द्र में सामाजिक न्याय की सरकार आई। मैं उनके ऊपर कोई संदेह नहीं करना चाहती हूँ और कोई आरोप भी नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रचार और प्रसार करते रहे और बदनाम भी हुए। वहां राजीव जी ने जो पत्थर लगाया था, आज भी वह पत्थर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब इस बात की उम्मीद बनी है और हमें पूरा विश्वास है कि कल समाचार पत्रों में आया है और हमारी एच. आर. डी. विभाग के मंत्री शैलेंद्र जी यहां पर बैठे हुए हैं, समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि उसको एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिगृहीत कर लिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। इस पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए और पिछली जे. कमियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा। मैं इसी लिए सरकार को बधाई देती हूँ कि सरकार को इस बजट में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए वित्त निगम का शेयर 75 करोड़ से बढ़ा कर 125 करोड़ कर दिया है, हालांकि यह भी कम है। लेकिन बढ़ाया तो गया है। इन लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। जब तक ये लोग आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होंगे तब तक कितने विधेयक हम लाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जब ये लोग आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगे तो इनकी तरक्की भी होगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तो शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनको सोचने सम्भन का अवसर मिलेगा और वे अपना काम अपने आप कर सकेंगे। अनुसूचित जातियों में अब पढ़े लिखे लोग भी हैं। जो बी. ए. और एम. ए. पास करके भी, अगर आप

इस बात का पता लगाएँ तो मालूम पड़ेगा कि कितने ही लोग ऐसे हैं जितने माता-पिता ने अपना घर गिरवी रखकर, अपने खेतों को गिरवी रखकर, अपनी फसल बेचकर, अपने जानवरों को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाई करने के बाद, एम. ए. करने के बाद वे रिक्शा खींच रहे हैं। यह दास्त-विकता है। एक सवाल यह है कि क्या दलितों को उनके अधिकार मिले हैं? एक तरफ जो 22 प्रतिशत आरक्षण देने की बात है वह भी पूरा नहीं हुआ। पढ़ने के बाद भी, कई बार देखा जाता है कि कोई रिक्शा खींच रहा है और आरक्षण में जगह खाली पड़ी हुई है। तो ये विसंगतियाँ हैं। मान्यवर, इन विसंगतियों की तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना है। आर्थिक स्वावलंबन की जब मैंने बात की है तो मैं कहती हूँ कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और राजगारपरक शिक्षा पद्धति को लागू करना होगा। सरकारी नौकरियों में अगर सामान्य शिक्षा से नौकरियाँ नहीं मिल सकती हैं तो उनके लिए राजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, टेक्निकल प्रशिक्षण देना पड़ेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Try to conclude.

श्रीमती सत्या बहिन : मैं संक्षेप में बोल रही हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : No. You have taken more than 35 minutes. You have to be brief.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : The subject is vast.

श्रीमती सत्या बहिन : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगी।

मान्यवर यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं तो कहूँगी कि सभी सदस्य इस बारे में

अपने अपने विचार रखें, अपने अपने रचनात्मक विचार रखें। यहाँ पर वे अपने विचार संक्षेप में रखें या विस्तार से रखें लेकिन अपने अपने रचनात्मक विचार अवश्य रखें, दिल से कहें कि हम सब लोग मिलकर दलित वर्गों को उनके अधिकार देने के लिए सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम विरोध भी करेंगे।

मान्यवर, सरकार पर हमें कोई शक नहीं है। सरकार पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं कांग्रेस में हूँ और मैं जानती हूँ कि कांग्रेस सरकार ने दलितों के लिए काम किए हैं लेकिन उसका उल्लेख नहीं किया। दलितों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए उनको उसने प्रचार नहीं किया कि हमने यह किया वह किया। जो उसने किया वह अपनी जिम्मेदारी समझकर किया है, कोई अहसान करके नहीं किया कि हमने तुम्हारे लिए आरक्षण किया, हमने यह आर्थिक व्यवस्था की, हमने फलाना वित्त निगम, कारपोरेशन बनाया, यह किया वह किया, यह प्रचार नहीं किया, एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर, एक मानवीय जिम्मेदारी समझकर यह काम किया। मान्यवर, जब जब दलितों की बात आती है तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब दलितों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, तब मालूम पड़ा कि पूरा ब्रह्माण्ड हिल जाएगा और तूफान आने वाला है। लेकिन जब दलितों का उत्पीड़न होता है तो सब शान्त रहता है। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में यह कहना चाहती हूँ कि सभी परिस्थितियों में सभी राधों को जुटाकर...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mrs. Satya Bahin, kindly conclude.

श्रीमती सत्या बहिन : मान्यवर, मैं दो मिनट और लूँगी। सरकार को चाहिए कि जगह जगह प्रत्येक राज्य में वह प्रशिक्षण

केन्द्र खोले और उसमें दलित-वर्गों के योग्य छात्रों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करें। आई. ए. एस., पी. सी. एस. और बड़े पदों के लिए जो योग्य छात्र हैं उनका चुनाव करके उनको वहां पर निःशुल्क प्रशिक्षण दें। वहां पर सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। जो योग्य अध्यापक हैं, जो योग्य कलाकार हैं या योग्य कोच हैं उनके द्वारा सहो मायनों में इमानदारी से इनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र है, गौतम जी जानते हैं, वहां पर इतने वर्षों के बाद भी जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह केवल औपचारिक मात्र हो कर रह गया है। अगर उसमें कोई जिम्मेदारी उन पर डाली जाए कि तुम कितने लोगों को प्रशिक्षित करते हो, तैयार करते हो और उनमें से कितने छात्र ऐसे हैं जो नौकरी पर पहुँचते हैं, तब तो उसकी कोई सार्थकता है अन्यथा ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र औपचारिक मात्र होंगे। मैं कहना चाहती हूँ पूरे देश में राज्य स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए जहाँ पर प्रशिक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके संचालकों पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि कोई अपना राजगार चलाना चाहता है और उसको सरकार की ओर से कोई आर्थिक सुविधा की आवश्यकता है तो वह उसे दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ उसको सब तरह की सलाह मशविरा भी दिया जाना चाहिए। यदि वह फैक्टरी लगाना चाहता है, छाटा-मोटा कारखाना लगाना चाहता है तो संबंधित अधिकारियों को चाहे वह उद्योग विभाग के अधिकारी हों या किसी अन्य विभाग के अधिकारी हों, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए कि उसको वांछित सहायता प्रदान करें। इसके साथ वह यह भी सुनिश्चित करें कि जो यूनिट उसने स्थापित की है

वह सफलतापूर्वक चलें। उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की होनी चाहिए। यदि कोई संकट या अड़चन उस यूनिट में आती है तो उसको दूर करने में अधिकारियों को मदद करनी चाहिए। यदि उसको कच्चा माल मिलने में कठिनाई हो, वित्तीय संकट हो या मार्केटिंग के लिए कहीं जाना पड़े तो सरकार इसकी जिम्मेदारी ले।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि आरक्षण पूरा नहीं होता है। जिन संस्थानों अथवा कार्यालयों में स्थान रिक्त पड़े हैं, जहाँ आरक्षण पूरा नहीं होता है, वहाँ यह कह दिया जाता है कि यदि तीन वर्ष तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ, कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुआ तो वह पद सामान्य श्रेणी में मान लिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को आप खत्म करें। अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा, उसको सामान्य मान लिया जाएगा तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर भरता है तो अवश्य मिल जाएगा। मान्यवर, अगर अनुसूचित जाति के पदों को अनुसूचित जाति से भरा जाएगा चाहे दो साल में मिलें या दो सौ साल में मिलें, तब यह भर जाएंगे। अगर यह शतें लगी रही कि दो वर्ष या तीन वर्ष में यदि आरक्षित वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा तो उसको अनारक्षित मान लिया जाएगा तो यह काम कभी नहीं पूरा होगा क्योंकि उनको तो अनारक्षित करना ही है। यदि आरक्षण पूरा नहीं होता तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। (समय की घंटी)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, I tell you that you have taken forty minutes. You have to conclude now.

श्रीमती सत्या बहिन : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रही हूँ। पदोन्नति के लिए जो डिपार्टमेंटल कमेटीयों बनी हुई हैं उनमें अनुसूचित जाति के कम से कम

दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था होगी तभी इन वर्गों के अधिकारों को देने के लिए निश्चित रूप से हम कुछ कर सकेंगे।

मान्यवर, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार को इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेदेकर, पूर्व प्रधानमंत्री प्रातः स्मरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रातः स्मरणीय श्री राजीव गांधी के कदमों पर ही चल कर पूरे आत्मविश्वास और संकल्प के साथ सरकार निर्णय लेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Mr. Vice-Chairman, Sir, my mental agony is this, you kindly ask the hon. Members to be brief so that the Minister may react to my Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : I know the procedure. Kindly to be take your seat. Smt. Sarla Maheshwari.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : धन्यवाद मान्यवर, जो आपने मुझे बुलाया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए लाए गए श्री गौतम जी के प्रस्ताव पर कुछ बोलूँ इससे पहले मैं अपना यह दायित्व समझती हूँ कि इस प्रस्ताव से जुड़ा हुआ जो एक बहुत बड़ा धोखा है उस धोखे पर से मैं पदां उठाऊँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर यह धोखा बना रहता है तो हमारे समाज के दलितों और पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय तो शायद ही मिल पाए, हमें सकता है कि एक नया भूम, एक नया माया-जाल जरूर रच दिया जाए। महोदय, इससे

हासिल तो होना कुछ दूर की बात, हमारे समाज के जो कमजोर और दलित वर्ग हैं, हो सकता है कि वे अपनी रही सही स्वतंत्रता भी गंवा दें। जिस धोखे और जिस मायाजाल की चर्चा मैं कर रही हूँ यह धोखा और मायाजाल है कि यह प्रस्ताव एक ऐसे सदस्य के द्वारा लाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी उस साम्प्रदायिक संघ परिवार की सदस्य है जो संघ परिवार "एक चालकान्वर्तित्व" यानी नेता के आदेश को ईश्वर का आदेश मानकर चलो, उस सिद्धान्त पर विश्वास करती है। आर. एस. एस. के ये नेता उनके परम गुरु गोलवलकर हैं जिनकी विचारधारा पर उनका यह पूरा परिवार टिका हुआ है। उनकी गुरूजी हैं श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। श्री गुरूजी खुद धर्म को आप्त वाक्य मानते थे और खुद को इन आप्त वाक्यों का प्रवक्ता मानते थे। संघ परिवार का सिद्धान्त है कि श्री गुरूजी की हर कही गयी बात गीता की तरह मानी जाए। आज संघ परिवार से जुड़े हुए हमारे जो सदस्य, हमारे समाज के दलितों के लिए हमारे समाज के उर्पाक्षत, पीड़ित लोगों के लिए जो इतनी बेचैनी जाहिर कर रहे हैं, जो इतना दर्द जाहिर कर रहे हैं, मैं यह बताना चाहती हूँ कि उनकी पार्टी का दलितों के प्रति क्या मूलभूत दृष्टिकोण है। श्री गुरूजी का क्या मूलभूत दृष्टिकोण था उससे मैं सबन को परिचित करवाना चाहती हूँ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : वह पूतना मौसी का प्रेम है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : श्री गोलवलकर जी मनुस्मृति में बनाए गए समाज विधान को बहुत प्रशंसनीय मानते थे और उसी की हमारे समाज का आदर्श मानते थे। उनकी साफ राय थी कि मनुस्मृति में जिस वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की गयी है वह वर्णाश्रम धर्म

हो हमारे समाज का आदर्श हो सकता है हमारे समाज की एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है। इतना ही नहीं, श्री गुरूजी वर्णाश्रम धर्म में शूद्रों को प्रति, जिन्हें हम समाज में उपेक्षित अछूत कहकर पुकारते हैं, जो उपेक्षा है वो घृणा है, वे उस घृणा के हृदय प्रवक्ता थे, उसकी आदर्श मानते थे। इसी कारण उपसभाध्यक्ष महोदय हमारे समाज के समाज सुधारक राजा राममोहन राय और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर को श्री गुरूजी ने यह कहकर लताड़ा था कि ये लोग ब्राह्मणों की शिक्षा में पड़े बड़े हैं इसलिए हमारे समाज को नहीं जानते और ये हमारे समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था की आलोचना करके, उसकी निंदा करके हमारी जाति व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि श्री गुरू जी ने कहा कि यह जाति व्यवस्था ही है जिस जाति व्यवस्था के चलते हमारा समाज इतने हजार वर्षों के दास्युद्ध अक्षुण्ण बना रहा। इतने विदेशी हमलावर आए, लेकिन हमारी जाति व्यवस्था का ही यह बंधन था जिसने हमको एक समाज के रूप में संगठित करके रखा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उनको उद्धृत करना चाहूंगी गोलवलकर जी ने जो कहा :

"Iran, Egypt, Rome and all other regions up to China could be conquered and annexed by Muslim invaders because they had no caste system. Even in West Punjab, Sind, Baluchistan, Kashmir and the Frontier Province in North West and East Bengal in the east, people became Muslims. It was because the caste system had been weakened by Buddhism."

उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ण व्यवस्था को वे सिर्फ एक महान व्यवस्था ही नहीं मानते थे बल्कि वह यह चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था के तहत जिन चार वर्णों में हमारे समाज को बांटा गया है और जिनमें सब से नीची सीढ़ी पर जिन शूद्रों को रखा गया है, जिन्हें पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया है, वेदों के अधिकार से वंचित किया गया है, वह हमारी

पूरखों की जो परंपरा है, वह हमारी पूरखों की परंपरा ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। इतना ही नहीं, उन्होंने दलित तबकों की तुलना काँओं से की। काँओं से तुलना करते हुए उनको अधम प्राणी कहा और अधम प्राणी कहते हुए उन्होंने कहा, मैं उनको उद्धृत करना चाहूंगी :

"Such persons can come together very easily in the lower strata of life. Organisation is very simple, very easy. The whole flock of crows assemble if we just throw a piece of flesh."

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार समाज के निचले तबकों की काँओं से तुलना करते हुए एक मांस का टुकड़ा फेंककर उनको संगठित करना जितना आसान है, यह हमारे समाज के दलितों के प्रति आर. एस. एस. के गुरू गोलवलकर जी का मूलभूत दृष्टिकोण था। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी बात के साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि गुरू जी ने जिन्हें समाज को उपेक्षित प्राणियों को अधम प्राणी कहा और यह कहा कि इन अधम प्राणियों से समाज की रक्षा तभी हो सकती है जब हम समाज के जो उच्च वर्ण के लोग हैं, जो थोड़े से उच्च वर्ण के लोग हैं, उन लोगों को संगठित करें। और इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र के कुछ उच्च कुल के ब्राह्मणों को लेकर हेडगेयार ने आर. एस. एस. का जो गठन किया गया उसको गोलवलकर ने आगे इस संघ परिवार का रूप दिया। उपसभाध्यक्ष महोदय, यदाकदा हमारे संघ परिवार के लोग, आज जैसे कि गौतम जी यह प्रस्ताव लाए हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचितों के विषय में उदार हृदय को दिखाते हैं... (स्वयंवाक्य)

श्री ईश्वर वत्त शास्त्र : साम्यवादी विचारधारा के हैं, गौतम जी।

श्रीमती सरला महेश्वरी : वह मैं बताऊंगी गौतम जी क्या हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं तो जानता हूँ कि हृदय में क्या है। आप क्या हैं, यह जरा बता दीजिए ?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : अच्छी बात है मैं वही बता रही हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती थी कि यह हमारी भारतीय राजनीति की एक मजबूरी है कि यहाँ कोई भी राजनीतिक पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति या समाज के बहुमत तबके का विरोध करके, प्रत्यक्ष तौर पर विरोध करके जिंदा नहीं रह सकती और इसीलिए उन्हें, इस तकाब की जरूरत भी पड़ती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे इस संघ परिवार के लोगों में जाति व्यवस्था के प्रति आदर और समाज के दलित, पीड़ित लोगों के प्रति घृणा कितनी कूट-कूट कर भरी हुई है, इसका उदाहरण हमें मंडल आंदोलन के समय दिखाई पड़ा था। प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, इस सदन में भी इसका बड़े जोर-शोर से उन्होंने समर्थन किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि समाज में समभाव बने रहना चाहिए, समरस बना रहना चाहिए और समरस अगर बिगड़ता है तब यह सामाजिक न्याय इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय को पीछे छोड़ देना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, लेकिन ये समाज में समरस की कल्पना करने वाले, समरस से परिवर्तन लाने वाले यही वे लोग थे।

यही वे लोग थे जिन्होंने मण्डल के नाम पर सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की सामाजिक न्याय दिलाने का जो संघर्ष था उस संघर्ष के विरुद्ध आंदोलन छोड़ा और हमारे नौजवानों को उकसाया, हमारे नौजवानों को जलने की मजबूर किया। कौन थे वे लोग? यही वे लोग थे जो प्रत्यक्ष रूप में मण्डल कमिशन की रिपोर्ट के विरोध में कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में यही लोग थे जिन्होंने मण्डल के विरोध में हमारे समाज के नौजवानों को गमराह किया। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि इसी मण्डल आंदोलन के विरोध में अब और कोई उपाय नहीं सूझा तो यही वे

लोग थे जो मण्डल के विरोध में कमंडल लेकर उतर पड़े थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं आती हूँ कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो यह प्रस्ताव लेकर आए हैं और वे हमारे समाज के उपेक्षित, पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति का दिखावा कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना जानना चाहती हूँ और इस सदन को भी यह बताना चाहती हूँ कि पिछले ढाई वर्षों में जिन चार प्रान्तों में भारतीय जनता पार्टी का शासन था उन चार वर्षों में इन चार राज्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर कितने अत्याचार हुए और उनके कल्याण के लिए क्या काम किए गए? उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, वह मैं बताना चाहूंगी। 15 महीनों के इनके शासन की अवधि में जनवरी-मार्च 1989 के दौरान देश के सभी राज्यों को मिलाकर हरिजनों पर सवणों के जूल्मों की कुल 3782 घटनाएँ घटीं जिसमें अकेले भा. ज. पा. शासित राज्यों में घटी घटनाओं की संख्या 2461 थी। इसी प्रकार 1989 के दूसरे चतुरांश में कुल 3747 घटनाओं में से भा. ज. पा. शासित प्रदेशों में 2506 घटनाएँ घटीं। तृतीय चतुरांश में भी कुल 4557 घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में 3262 घटनाएँ घटीं तथा चौथे चतुरांश में 3340 घटनाओं में 1648 भा. ज. पा. के राज्यों में हुई और 1990 के पहले चतुरांश की कुल 1756 घटनाओं में से 1451 घटनाएँ भा. ज. पा. के प्रदेशों में हुईं। अंतिम दो चतुरांशों के हिसाब में उत्तर प्रदेश के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण उनमें जोड़ नहीं जा सके हैं। अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो देश में हरिजनों पर होने वाले जूल्मों का 80 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा अकेले भा. ज. पा. शासित प्रदेशों में हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह है भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति जन-कल्याण का असली चेहरा। ठीक इसके

विपरीत पश्चिम बंगाल का क्या हाल है ? पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चा शासन में इन्हीं 15 महीनों में वहाँ ऐसी सिर्फ 13 घटनाएँ घटीं। भा. ज. पा. शासित राज्यों में तो इन घटनाओं का प्रतिशत मूँने दे ही दिया है। इसी काल में कम्हरे जैसा भयावह और कन्सित काण्ड भी हुआ। तो उपसभाध्यक्ष महोदय, यह है भा. ज. पा. का असली चरित्र। इतना ही नहीं, इन्हीं के काल में सांप्रदायिकता के जरिए धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक उन्माद छोड़ा गया, उस सांप्रदायिक उन्माद में भी इन प्रदेशों में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को बर्खा नहीं गया और उन पर बराबर जुल्म होते रहे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस एक बात पर जोर देना चाहती हूँ और श्री गौतम जी की बात को भी मैं सराहना चाहूंगी कि गौतम जी ने बड़ी मेहनत की अनुसूचित जाति, जनजातियों की हमारे समाज में क्या अवस्था है, 45 वर्षों की आजादी का क्या सबब है, बड़ी मेहनत से उन्होंने हमारे समाज की इस पठार वास्तविकता को सामने रखा और इसके लिए गौतम जी साधुवाद के पात्र हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : धन्यवाद।

श्री ईश बस थावथ : व्यक्तिगत रूप से ?

श्रीगती सरला माहेश्वरी : व्यक्तिगत रूप से तो मैं इनकी आभारी हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 45 वर्षों की राजनीति को रखा है, इस विषय में मैं भी कहना चाहती हूँ। जैसा अभी सत्या बहिर्न जी बोल रही थी और उन्होंने कहा कि व्यवहार में उतारने की बात है, अमल में हम कैसे उतारते हैं, उसकी बात है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यही वह वान है, जिसमें कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरती। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह करती नहीं, जो करती है वह कहती नहीं। कहने को कांग्रेस पार्टी अपने आपको धर्म-निरपेक्ष

पार्टी कहती है, सांप्रदायिक विरोधी कहती है, लेकिन पत्र-पत्र पर सांप्रदायिक ताकतों से समझौते करती है। आज भी मुस्लिम लीग के साथ उसकी सरकार चल रही है। इन 45 वर्षों की कांग्रेस की राजनीति के चलते ही आज हमारे समाज की यह हालत है कि समाज के इतने बड़े हिस्से को, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन लोगों की समाज में आज सबसे ज्यादा बदतर स्थिति है। तमाम संवैधानिक गारंटियों के बावजूद, तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी यह स्थिति है। जब हम हकीकत को देखते हैं तो हमारे संविधान का हमारा देश की हकीकत से कोई तालमेल नजर नहीं आता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, संवैधानिक घोषणाएँ एक जगह हैं, संवैधानिक आदेश एक जगह हैं, लेकिन जमीन की खुरदरी वास्तविकता बिल्कुल दूसरी जगह है। तमाम संवैधानिक गारंटियों के बावजूद आज तक हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनका न्यायोचित हक नहीं दे सके और जो नहीं दे सके, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वह आपकी नीति, आपकी कमजोरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने ही मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार की और मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार होने के बाद दस वर्ष तक उसको ताक पर लटकाए रखा। दस वर्षों तक इन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी कि आखिर हमारे समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा उपेक्षित है, वंचित है और जो रिपोर्ट तैयार करवाई उस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें हैं, उस रिपोर्ट में क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या विसंगतियाँ हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं समझी। जब एक राजनीतिक पट परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के काल में घोषणाएँ हुईं तो बाध्य होकर आपको इस ओर देखना पड़ा। आपने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कुछ विसंगतियाँ हैं।

सुप्रीम कोर्ट को आपने भेजा। जब सुप्रीम-कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उस फैसले की राशनी में एक और कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें दे दी हैं। तो जब मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि आखिर जो सामाजिक दृष्टिकोण से, न्यायोचित दृष्टिकोण से, हमारे संवैधानिक दृष्टिकोण से इतने जरूरी काम हैं, हमारे समाज के पिछड़े हुए लोगों को समाज की मूलधार में शामिल करने के लिए, समाज के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए जो मूलभूत काम हैं, आप उनको पीछे क्यों छोड़ देते हैं? आपने लगातार उनको पीछे छोड़ा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के संबंध में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित जो रिपोर्ट हैं, चाहे नागर विमानन की हो चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की हो, तमाम क्षेत्रों में मैंने उनकी रिपोर्ट को देखा है और उन तमाम रिपोर्टों को देखने से यह जाहिर होता है, जैसा गौतम जी ने कहा है, उस कमेटी की सिफारिशों को बावजूद भी कहीं पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति को संवैधानिक रूप से जो कोटा मिला हुआ है, उस कोटा को पूरा नहीं भरा गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक जरूरी नुस्ते की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि अभी सरकार नई आर्थिक नीतियाँ लेकर आई है और इन नई आर्थिक नीतियों के चलते हमारे सार्वजनिक उद्योगों, हमारे सार्वजनिक उद्यमों को जिस तरह से हाशिए पर डाला जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो क्षेत्र सुरक्षित थे, उनको संकुचित करके आपने सिर्फ 8 क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक उद्यमों को सिस्टा दिया है। इसके चलते सरकारी नौकरियाँ कम होंगी, आप तमाम क्षेत्रों का निजीकरण कर रहे हैं—ऊर्जा का क्षेत्र, बिजली का क्षेत्र, रेलवे का क्षेत्र, हर क्षेत्र

में, जो क्षेत्र आज तक सार्वजनिक उद्यमों के लिए थे, उनको आपने निजी उद्यमों के लिए छोड़ दिया, तो जाहिर है कि सरकारी नौकरियाँ कम हो जाएंगी और जब पहले से ही काम की इतनी किल्लत है, रोजगार के अवसरों की इतनी किल्लत है, आज भी अनुसूचित जाति, जनजातियों का कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है तो नौकरियाँ का जब इतना अभाव हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति घट जाएगी, निजी क्षेत्रों को आप प्रोत्साहन देते रहेंगे, उस समय अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को काम के अवसर कहाँ मिलेंगे? मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करने जा रही है कि निजी उद्यमों में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था इन अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए की जाए? अन्यथा क्या होगा? अन्यथा यही होगा कि हमारा देश, जो पहले से ही बेरोजगारी की समस्या से गुज़ रहा है और हमारे समाज के ये पिछड़े हुए लोग, ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग और अधिक पिछड़ते जाएंगे, उनकी प्रगति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि सरकार क्या कर रही है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में इस प्रस्ताव के समर्थन का सवाल है, मैं इस प्रस्ताव की मूलभावना का समर्थन करती हूँ, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति क्या दृष्टिकोण है। मैं गौतम जी को याद दिलाना चाहूंगी कि 1925 में जब आर. एस. एस. का जन्म हुआ था, उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में ज्योतिबा फुले का सत्य शोधक आन्दोलन काफी ऊँचाई तक पहुँच चुका था और बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का राजनीति में प्रादुर्भाव हो चुका था और यही वह काल है, जिस काल

में सत्य शोधक समाज के लोगों ने मनु-स्मृति को जलाया और इस वर्णान्तर व्यवस्था के प्रति अपना पूरा आक्रोश व्यक्त किया। जब एक तरफ प्रगतिशील आन्दोलन चल रहा था, उसी काल में इस तरह की, इस वर्णान्तर व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए नामपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई। इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह आश्चर्य होता है कि गौतम जी एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, जिस परिवार के विचारों की मूल आधार-शिला अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति कृपा से भरी हुई है। जिस संघ परिवार की मूल विचारधारा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उसी स्थान पर रख देना चाहती है, समाज में उनको ऊपर उठने का कोई मौका नहीं देना चाहती। उस पीढ़ी से जुड़कर अगर हमारे गौतम जी यह कहते हैं, उप-सभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति का सवाल है, मैं कोई समझौता नहीं करता। मैं गौतम जी से कहूंगी कि शायद उनका हृदय बड़ा विशाल है कि उनके हृदय में दो विपरीत ध्रुव—ब्राह्मणवादी ध्रुव और अनुसूचित जाति के लोग, दोनों ध्रुव समान रूप से स्थान पा सकते हैं। इसलिए उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं गौतम जी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों के लिए जो प्रस्ताव लेकर आए, उस प्रस्ताव का समर्थन और उस प्रस्ताव के प्रति आस्था और निष्ठा पर तभी यकीन किया जा सकता था जब आप इस प्रस्ताव के साथ-साथ एक और प्रस्ताव लेकर आते और वह प्रस्ताव होता—भारतीय जनता पार्टी से त्वाग-पत्र का प्रस्ताव, तब मुझे उनकी निष्ठा पर, उनकी आस्था पर कोई संदेह नहीं होता। इसीलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात अंत में शैक्सपियर की इन पंक्तियों से समाप्त करना चाहती हूँ।
(व्यवधान)

श्री विठ्ठल राव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : कुछ दिन बाद वे इनको निकाल ही देंगे।

श्रीलाला ओम्बुल्ला खान आझमी (उत्तर प्रदेश) : निकाल ही दिया है इनको, निकाल ही दिया है।

श्री विठ्ठल राव माधवराव जाधव : वह अकेले बैठे हैं बेचारे, हाऊस में।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इसलिए उन्होंने अहसान भी जताया उनका। बहरहाल, उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की समाप्ति शैक्सपियर की इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ।

श्री. सौरीन भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल) : संघ का परिवार नहीं है, संघ का मित्र है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, शैक्सपियर ने कहा था :

"Roses have thorns and
Silver fountains Mud
Clouds and eclipses stain
both Moon and Sun
and loathsome canker lives
in sweetest bud.
All men make faults"

गौतम जी, आप भी गलती कर रहे हैं। दया करके सही रास्ते को चुन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्ताव की मूल भावनाओं का समर्थन करती हूँ।

*SHRI JAGIR SINGH DARD (Punjab) : Mr. Vice-Chairman, wherefrom life was created? What is the origin of life? According to Vedas, on Virat Purush took birth. How did take birth? He was born out of fire. Our of his mouth, the Brahmins were born; from his arms, the Kshatriyas were born; and from his

*English translation of original speech delivered in Punjab.

feet, the shudras were born. This is the theory of the Vedas. It is for you to decide whether it is credible or not.

Scientific research has concluded that Life was born out of water. And Darwin said, "No. Not at all. Man has been converted from Monkey." If we look at the prevailing situation, we become inclined to believe the theory of Darwin. Our habits and acts resemble those of monkeys. Whatever happened in Ayodhya and Bombay were monkey-like acts. Our deeds seem to justify the Darwinian theory.

So far as the Scheduled Castes are concerned, their fate had been sealed on that very day when Lord Manu divided the society into four *Varnas*. They were denied access to education or the right to do anything at all. Their condition was worse than that of animals. These people have been crying for a better treatment ever since the days of Lord Manu but the atrocities continue to be perpetrated on them as ever.

I would like to make another point. The reservation quota for Scheduled Castes is 22.5% while it is 27% in the case of Backward Classes. Mandal Commission was appointed to go into the matter. Then, Mandal Commission Report was referred to the Supreme Court. There was no case of the Scheduled Castes before the Supreme Court. But the Supreme Court struck down their reservation in promotions. We had already been hit hard by fate as well as society. I do not know why the Supreme Court felt like dealing a further blow to us—the have-nots.

Sir, I had raised a question in this very House as to whether reservation within the reservation was possible. The honourable Lady Minister had said in her written reply that it was not possible at all. But there is a so-called Scheduled Caste Leader

in Parliament from Punjab. He has succeeded in getting reservation within the reservation there through his influence. Consequently, the Scheduled Caste people have received another set-back.

I congratulate Gautamji for bringing this Resolution before the House. Now, there are only two courses open before us. Either the House should adopt it unanimously or the Congress Party should come forward with an official Bill on the subject so that the issue of reservation is resolved.

The Central Government as well as the State Governments say that they will not allow the Supreme Court judgement to be implemented. But who will act against the judgement? The Administration does not allow our reservation quota to be filled. Now they will have a simple excuse that they will not violate the ruling of the Supreme Court. That is why I felt that the Government must bring forward a Bill to correct the situation.

I come to excesses committed on them. There was an Aluminium Company in America. There was a dispute between a white employee and a Black employee of that company. The Black had been promoted by superseding the white. The Lower Court gave its judgement in favour of the White. But the High Court, on appeal against the judgement, upheld the supersession. The High Court said that the Blacks had been subjected to atrocities and excesses by the Whites for such a long period that even hundreds of such cases of supersession would be termed only fair as they would be in favour of the poor.

Moreover, I feel that the reservation quota can never be filled, how so ever hard we may try. I have gone through the Report of 1979 because subsequent reports were not available. According to that Report the position of vacancies filled under the Central Government is as follows :—

Class	Posts	Scheduled Castes	Per-centage.
1	2	3	4
Class I	46434	2204	4.75 %
Class II	56287	4150	7.37 %
Class III	17,18,576	2,15,762	12.55 %

Apart from that, what is the position of jobs in the banks? It is as follows :—

1. Central Bank of India	0.95%
2. Punjab National Bank	1.95%
3. Bank of Baroda	1.21%
4. Allahabad Bank	1.34%
5. Oriental Bank of Commerce	0.25
6. Andhra Bank	0.68M
7. State Bank of India	0.72M

Sir, it reminds me of a couplet :—

“सहैकल रत्नकी, साकी उनका
आँख अपनी, बाँकी उनका।”

The Preamble to our Constitution provides social, economic and political justice to all. The State of social justice is well known to you. It is difficult for us to enter into any temple, mosque or Gurudwara.

What is the position of economic justice? There was a Negro leader named T. Washington. He has said that Reactionary Governments, which do not want to uplift the poor, never share their political power. Even if they have to share political power under duress, they will never share “Influence in Power”. What is this influence in Power? Let us suppose that a person becomes a Minister of Transport. One of his friends asks him for a Permit from Delhi to Simla. Then the Minister of Transport asks his friend to speak to the Chief Minister first. They do not share influence in power at all.

So far as Economic power is concerned, they do not divide it. Do the Harijans have a single well-run farm in India? Does any Harijan have a good factory? Nothing of the sort is there. But it does not mean that we do not have good intentions or we are not sincere. We have good intentions, no doubt. But good intention alone will not help improve the situation. Unless you correct the Administration, nothing can be achieved. The Administration did not allow the effective implementation of even Land Reforms. It will not allow you to do anything therefore, the Government will have to be strict otherwise it cannot do any good to the Scheduled Castes.

When there is cropping season in Punjab the Scheduled Caste people are socially boycotted. They demand more wages but the Zamindar is not willing to oblige. He puts them under social Boycott. They are not allowed to move out or to go to the fields.

In 1922, Social Boycott Act was passed in Burma. A similar provision was made in the Government of India Act, 1935. But our law-makers did not make such a provision. I do not know how they forget about it. I feel that a law should be made to prevent people from subjecting anybody to Social Boycott.

The communal parties are becoming very powerful these days. All the progressive elements, to whichever political party they may belong, must come together to fight against them and to check their activities. Otherwise, words like socialism and elimination of poverty will become meaningless.

I thank you for giving me an opportunity to speak. Jai Hind.

*SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, though the Constitution provides for 22.5% reservation in job opportunities for SC/ST, hardly 10 to 11% of the vacancies have been filled up so far. Having released the necessity to protect the interests of these under privileged people, the hon'ble Member Shri Sangh Priya Gautam has brought in this Resolution. Therefore, I congratulate him for this. Though wedded to B.J.P. it is surprising that he has had the courage to bring in this kind of Resolution. I only wish he

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

is not packed off from the party for his good Samaritan attitude. Any way, he deserves a pat for taking up this cause.

Another important point in this Resolution is the appeal to set at rest the doubts raised in various quarters regarding the fate of reservation for SC/ST, in the wake of the Supreme Court judgement on reservation for backward classes. That is why the Resolution demands for amendment in the Constitution for the continuation of all the benefits enjoyed by the SC/ST hitherto.

Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of D.M.K. I would like to register my views on this matter. It is time we brooded over the situations prevailing in the country. We had lot of dreams both, before and after independence. The great poet and patriot, Subramaniya Bharathi delighted at the very prospect of freedom and sang much before independence thus :

Let us sing, let us dance
Freedom at last
This joy be ours

But he died too young without seeing independent India. Blessed he was that he didn't live to see today's India. Or else his heart would have broken. Again, Father of the Nation, Mahatma Gandhi too, did not live to see the miseries of the day. Those days while writing in our party organs we used to give titles like 'Gandhiji is no more to see and listen! In that we would say that he was lucky enough not to have been a witness to the poverty, communalism and casteism.

Today the situation in the country is much worse. Yet the ruling party, the Government, keep on telling us about lot of dreams for the future. They talk of generating 6 crore job opportunities in the Eighth Five-year Plan. They don't even think whether it is possible. If it's possible, practical, then why seven Five-year Plans had failed. They are not bothered about all this because, they know for certain that the people have a very bad memory. They bank on the forgetfulness of the people so much that they take them for granted.

The same way, the late Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi spoke of taking the

nation to 21st century in jet speed. He said that he would make India prosper in every field and thrive in glory. But unfortunately he died tragically. The respected President of India too, while speaking at Hyderabad in the month of May, has said that he has unassailable faith that India would become an economic super power in 10 to 12 years time. This could only be the imagination of a fertile mind. This even pleases the ears. But the records of such dreams during the last 45 years show that they were never realised. It pains us to note that many promises made in the past were not fulfilled.

Sir, our population has crossed 85 crore. But the percentage of literacy is just 41%. The percentage of literacy among SC is just 21%. Among ST it is a mere 15%. This is the achievement in the last 45 years. If people are not educated, how you are going to fill up 22.5% reserved for them? When we say literacy, it does not mean we refer to only graduates and post graduates. By literacy we mean just the ability to read and write. Because of this reason the vacancies are not filled.

The representation of SC/ST in Government job is very low. Scheduled Castes account for 9% in Class I posts and 12% in Class II posts, while STs account for 2.5% in Class I post and 2.3% in Class II posts under the Central Government. In jobs under Central public sector undertakings, SCs account for 6% in Class I posts and 9% in Class II posts, while STs account for 1.5% in Class I posts and 2.5% in Class II posts.

Mr. Vice-Chairman, Sir, we come from the southern part of the country. You know well that Thanthai Periyar while in Congress insisted on the reservation policy. When that was not accepted he had no option but to quit Congress. You also know the history of Justice Party. D.K. and also D.M.K. We can't forget the fact that Shri Kamaraj struggled for this very cause. We vary often claim that we have political equality. But, without socio-economic equality, the achievement of political equality becomes meaningless. That is why Dr. Ambedkar proclaimed that he was fighting for socio-economic equality. For realising this goal in the South Justice Party, P.K. and D.M.K.

struggled for years on the path of Dr. Ambedkar. Our late lamented leader Dr. Anna and our revered leader Dr. Kalaignar have played significant role in this direction. It was again D.K. which supported class-based representation right at the time of Britishers. Our leader Dr. Kalaignar gave 27% reservation to backward classes when he was in power in Tamilnadu. He also raised the percentage of reservation for SC from 16 to 18. Our D.M.K. has been echoing the voice of the oppressed, the under privileged.

Sir, as the hon'ble lady Member mentioned little while ago, we, as Members of Parliament have the opportunity to fight for the upliftment of the downtrodden people who are immersed in superstition because of illiteracy in this caste-ridden society. But I ask: What the Government has done for them? I have some statistics with me. In Delhi there are 11,707 Class I posts in all, out of which the SCs occupy just 240 posts. There are 43,803 Class II posts out of which the SCs account for only 5985 posts. There are 17,829 Class III and IV posts and the SCs account for 5518 posts. So also, in public enterprises there are only 5399 SCs in Class I posts though the total number of such posts comes to 87335. Of the 5,33,037 Class II posts, there are just 19631 posts occupied by SCs. Out of the staggering 33,22,948 Class III and Class IV posts, the SCs account for a very meagre percent.

Sir, a word about the private sector. It is the private sector where the bulk of job opportunities are available. But there is no reservation in this sector. Because the Private sector people say that they invest their money, they take risks and so they need not to follow the reservation policy. But the fact remains that all the private sector establishments borrow heavily from nationalised banks and the Government. They also mobilise money from the public through share market. Yet they have the audacity to say that it's all their money. To top it all the Government says it has no influence on them. Then I wonder whether the Government is influenced by them! When we were in power in Tamilnadu, we urged upon the centre to prevail upon the

private sector to implement reservation policy. Even now we ask, why the Government should not do this? Should there be any difficulty, you bring in a Constitutional amendment.

We know what the Government is upto. The oft spoken new economic policy is snatching away even the scant job opportunities we have had. The Government has already begun privatisation. This monumental blunder of the centre will only deprive SC, ST and BC of their right to reservation. It is regrettable that even Government departments do not follow reservation policy. To enforce the policy of reservation, there has to be political will. Provisions should be made to provide punishment to those quality of not implementing reservation policy. Then alone the back-log of vacancies can be filled.

Sir, for long there has been a plea that qualified candidates are not available among SC/ST. The champion of the rationalist movement Thanthai Periyar, in reply to this, posed a counter question. He asked, how many people have died so far after being treated by doctors belonging to SC/ST? How many buildings and bridges built by SC/ST engineers have collapsed? On the contrary, so many have crashed piloted by people of other communities. There is hardly any SC/ST in the field of aviation. So also there is rampant corruption in banks and stock market where SC/ST people are too few in number. Who are the people responsible for the infamous bank scam that shook the nation. Who are in the income tax department that is cheated by crores of rupees through tax evasion? These are few examples of the miracles done by the men of merit.

The centre and the State Governments constitute Planning Commission to prepare schemes and programmes for the welfare of the society. With a crippling sense of sorrow I wish to ask, did the Government ever appoint any one belonging to SC/ST? Are there not experts in these communities? Are they not intelligent? Are they not patriots? There are many such people, highly qualified and intelligent. But you do not have the mind to appoint them.

There are people among SC/ST who have excelled in various fields. There is a music director, a phenomenon called Ilayaraja in Tamilnadu who walks like colossus in the field of music in India. He also hails from this community. He is the North Star in the world of music today. Offers for him to visit foreign countries to perform keep pouring in every day. There are people of this like in SC/ST. But they are not identified and encouraged.

Mr. Vice-Chairman, Sir, earlier there was a rule to de-reserve posts reserved for SC/ST, in case of non-availability of candidates for three consecutive years. But happily the Government later withdrew that order. However, new apprehensions have begun nagging the mind. After the verdict of the Supreme Court on 16-11-1992 on Mandal Commission recommendations, there has been some fear that the reservation for SC/ST in job opportunities and promotions could be affected. Recently, two cases of promotion of SC/ST officials have been turned down by the Central administrative tribunal. That is why Shri Gautam has moved the Resolution. At this point I would like to say that we are for the backward classes. It was indeed, we who pleaded with Mr. V. P. Singh to give more concessions for the backward classes. Therefore, we should not be mistaken for supporting this Resolution. This Resolution only demands an amendment in the Constitution to protect the status Quo of SC/ST in the matter of reservation. This is a genuine demand and I am hopeful that the Government will do it soon.

Sir, the reason for educational backwardness in Tamilnadu is not lack of colleges but lack of hostel facilities. When a single cup of tea costs Rs. 1.50, it is not possible for SC, ST and BC students to stay out and pursue their studies. Even the scholarship given by the Government is very meagre. Because of this hardship many students are forced to abandon their schools and colleges. So, the Government should provide hostel facilities to all students of these communities.

I want to refer to another cruel joke, played by the members on the interview boards for various jobs. Even when physically handicapped persons go for the

posts of peon or watchman, the board members are unkind enough to ask whether they could ride bicycle or chase a thief if he intrudes. This is a very cruel attitude. The SC/ST people are also socially handicapped people. Hence they should be given jobs without such unwanted grilling. As far promotion, it would be better to maintain separate lists for SC/ST. This will render them justice in the matter of promotion.

Before I conclude, I will refer to the Presidential Address. In the year 1991, the President, in his Address to Parliament said that all the back log of vacancies reserved for SC/ST would be filled soon through special recruitment drives. This statement was repeated in the Address in 1992 as well. But the Presidential Address delivered this year, has very conveniently and deliberately refrained from even referring to it. This Government only shows off through Dr. Ambedkar centenary celebrations and other such gimmicks. It is time the Government came out with some action plan.

As I conclude, I call upon the centre to bring in a Bill to amend the Constitution in order to protect the rights and privileges of over 21 crore SC/ST people who constitute one fourth of the population of the Country. I thank the Chair for being considerate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Shri V. M. Jadhav. Please try to conclude within ten minutes. A lot of speakers are there.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Why are you restricting me?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : I am not restricting you. I only requested you to be brief.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Mr. Vice-Chairman, as the founding father of our Constitution, Dr. Ambedkar was born in Maharashtra and his mother-tongue was Marathi, and my mother-tongue is also Marathi, I would like to take the privilege of speaking on this Resolution in my mother-tongue, Marathi language. *(Continued his speech in marathi.*

*उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य श्री संघप्रिय गौतम जो संकल्प लाये हैं, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह एक अच्छा संकल्प है। श्री संघ प्रिय गौतम भारतीय जनता पार्टी में कैसे गये? यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि उनका नाम संघ-प्रिय होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पार्टी में ले लिया होगा? श्री संघ प्रिय गौतम यह जो संकल्प लाये हैं उससे उनके हाथकमांड काफी नाराज हो गये होंगे। उनका नाम संघ प्रिय के बदले बुद्ध प्रिय होना चाहिए था। लेकिन बुद्ध से उनका नाम संघ प्रिय गौतम है। गौतम साहब ने इस बात का उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़ी जातियों का जो प्रतिशत है वह 22½ प्रतिशत है लेकिन उसे कभी भी भरा नहीं गया। अब तक 10 प्रतिशत आरक्षण को भी पूरा नहीं किया गया है यह बात उन्होंने सदन के सामने लायी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर बात है। डा. बाबासाहब अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान बनाया है। डा. बाबासाहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल आदि महान नेता थे। उन्होंने अपने त्याग और परिश्रम से इस देश को आजाद किया है। उन्होंने देश में क्रांतिकारी कदम उठाये। महात्मा गांधी सोचते थे कि इस देश से जाति प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए। इस देश में जो गरीबी है वह भी समाप्त हो जानी चाहिए। इस देश में रहने वाले हर नागरिक को स्वाभिमान से जीने का अधिकार होना चाहिए। हर एक को सामाजिक और आर्थिक समानता मिलनी चाहिए। इस तरह का उनका सपना था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन की माननीय सरला श्रीमती सरला माहेश्वरी अभी अपना भाषण दे रही थी। वह अभी यहां नहीं

हैं। उन्होंने गोबलकर गुरूजी का उल्लेख किया था। गोबलकर गुरूजी ने जो लिखा है उसे वह वाचरण में लाये। उन्होंने कहा था कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है वह ईश्वर की दान है उन्होंने इस तरह जहरीले विचार देश में फैलाये। मैं विस्मृता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस समय क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब यह मैच फरीदाबाद में हो रहा है। फ़िरोजशाह कोटला ग्राउंड पर भी मैच हुआ था। वहां कंबली नाम का एक खिलाड़ी खेल रहा है। उसने भारत में ही नहीं अपितु दुनिया में कई रिकार्ड तोड़ दिये हैं। दो टैट मैचों में डबल सेंचुरी एसिल की है। वह ब्राह्मण जाति का नहीं है। ब्राह्मण न होने के बावजूद भी उसने जो रिकार्ड तोड़े हैं उससे लगता है कि जाति प्रथा का विचार करना ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बाबासाहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। उनका कार्य देखकर ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के बाद डा. बाबासाहब अंबेडकर का ही अवतार हुआ था। मैं उसका एक कारण बताना चाहता हूँ। मैं एक बार जापान गया था। मैं जिस होटल में ठहरा था वहां गौतम बुद्ध का एक चित्र था और उसके पास डा. अंबेडकर का भी एक चित्र था। वह देखने के बाद मैंने उनकी पूछा कि आपने डा. अंबेडकर का चित्र गौतम बुद्ध के चित्र के साथ क्यों रखा है? उन्होंने मुझे बताया कि गौतम बुद्ध के बाद 6 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला यह आदमी एक महान विभूति है। इसलिए उनका चित्र हमने यहां लगाया है। वे हमें बहुत प्रिय हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है कि मैं नास्तिक हूँ। मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। अगर किसी धर्म को मानने का समय आ ही गया तो मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार

*मूल रूप से मराठी भाषा का हिन्दी अनुवाद।

कलंगा । क्योंकि बौद्ध धर्म में छोटे-बड़े या उंची जाति या नीची जाति का भेदभाव नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने मित्र श्री राजू बोल रहे थे । जब डी. एम. के दल की स्थापना हुई तो उसका कारण यह था कि उंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों पर अन्याय करते थे । उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इस पार्टी की स्थापना हुई थी । बाद में यह पार्टी विभाजित हुई । वे सब अब अपने सिद्धांत भूल गये हैं । अब स्थिति में काफी परिवर्तन आया है ।

श्री धनंजय कीर नामक एक मराठूर मराठी लेखक ने डा. बाबासाहेब अम्बेडकर की जीवनी लिखी है । श्री धनंजय कीर मराठी भाषा के महान लेखक थे । उन्होंने डा. बाबासाहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज और राजाराम मोहन राय जैसे समाज स्थापकों पर कई ग्रंथ लिखे हैं । जिन लोगों ने इस देश में क्रांति की है, जिनके विचार क्रान्तिकारी थे ऐसे लोगों की जीवनी भी श्री धनंजय कीर ने लिखी है ।

डा. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों की तरफ आज ध्यान देने की आवश्यकता है । डा. अम्बेडकर पर श्री कीर द्वारा लिखी गयी पुस्तक में एक जगह लिखा है कि मनु एक तुच्छ विचारों वाला व्यक्ति था । मैंने भी काफी अध्ययन किया है। मैंने भगवद्गीता पढ़ी है । डा. बाबासाहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले आदि क्रान्तिकारियों के चरित्र मैंने पढ़े हैं । जिन्होंने सामाजिक क्रान्ति की है उनकी जीवनियां पढ़ने का मौका मुझे मिला है । उनके विचार काफी मंत्र-मुग्ध करने वाले हैं । उन्होंने समता का विचार समाज को दिया है । राम, और छत्रपति शिवाजी महाराज के हमने स्टेच्यू किये हैं । उनकी आज हम पूजा करते हैं । हमने मंदिर भी बनवाये हैं । हम उनकी पूजा करते हैं लेकिन हमारी गलतियां हम नहीं

सुधार रहे हैं । जाति प्रथा को हमने अभी तक छोड़ा नहीं है । मुझे लगता है कि हमें यह सब छोड़ देना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में कौन लोग थे ? श्री खान उनके तोपखाना के प्रमुख थे । जब शिवाजी महाराज को आगरा में लाया गया था तब उनके साथ कौन था ? उनके साथ जिवा नाम का सैनिक था । इसलिए वह कहा जाता है कि जिवा था इसलिए शिवाजी महाराज सही सलामत बच निकले । छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक किताब लिखी गयी है उसका नाम श्रीमान योगी है । वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज श्रीमान योगी थे ।

उस समय की एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ । उस समय एण्ड में एक ब्राह्मण गुरू थे । वे खुद को शिवाजी महाराज के गुरू मानते थे । वे इतने भ्रष्टाचारी बन गए कि उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया । वह समझते थे कि उनको कोई सजा नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी ।

जब शिवाजी महाराज को इस संदर्भ में शिकायत की गयी तो उन्होंने कहा कि जो आदमी इस तरह का व्यवहार कर रहा है वह मेरा गुरू नहीं हो सकता । उन्होंने आम आदमी को जो सजा हो जाती वही सजा उसको दिलायी । ऐसे थे शिवाजी महाराज । वे एक आदर्श राजा थे ।

दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ । जब कलाण में लड़ाई हो गयी तब वहाँ का सरदार एक मुसलमान था । मराठा सेना ने कलाण की विजय के बाद उस सरदार की बहू को पकड़ लिया । उसको वे शिवाजी महाराज की राजधानी तक ले आए । उस महिला को पालकी में बिठा के राज-दरबार में लाया गया और शिवाजी महाराज को बताया गया कि उनके लिए वे एक नज-

राना ले आये हैं। जब उस पालकी को खोला गया तो उसमें एक अति रूपवान् महिला थी। उस रूपवान् महिला को देखकर शिवाजी महाराज ने कहा था कि इस तरह अगर मेरी माँ भी रूपवान् होती तो मैं कितना सुन्दर होता, रूपवान् होता। इस तरह के आदर्श विचार शिवाजी महाराज के थे।

लेकिन आज उसी महान् शिवाजी महाराज का नाम लेकर शिव सेना जैसे संगठन बन गए हैं। शिव सेना वाले शिवाजी महाराज के साथ-साथ बाबासाहब अंबेडकर के नाम का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे देश में जाति प्रथा एक अभिशाप है। उसे नष्ट कर देना चाहिए। जाति व्यवस्था हमारे समाज से निकाल देनी चाहिए। जब तक आप इसे व्यवहार में नहीं लाते तब तक हमारा लोकतन्त्र यशस्वी नहीं हो सकता।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. नारायणस्वामी) :
आपने चार बजकर बारह मिनट पर शुरू किया था, अब समाप्त करिए।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह जो जाति शब्द है उसे डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। पिछड़ी जाति या पिछड़ी जनजाति जैसे शब्द इस्तेमाल करके हम फिर भी जाति प्रथा को आगे मान रहे हैं। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जो परसेंटेज पूरा किया जाना चाहिए वह पूरा नहीं किया जा रहा है।

इंजीनियरिंग, मॉडल आदि में आरक्षण का कोटा पूरा किया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में एडमिशन के लिए जो कोटा रखा गया है वह पूरा नहीं किया जाता। इंजीनियरिंग और मॉडल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वंचित किया जाता है। इस तरह की जो आज व्यवस्था है उसे समाप्त करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मैं सिर्फ सरकारी नौकरियाँ या एडमिशन की

जाति ही नहीं करना चाहता। आप देखिए, जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उनमें कितने लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के होते हैं। कितने पिछड़ी जाति के लोग उद्योगपति हैं। बड़े-बड़े पदों पर कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं? हमें इस बात का भी विचार करना चाहिए।

सामाजिक क्रांति का संबंध आर्थिक क्रांति से संबंधित है। वे एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जब तक हम आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं लाते तब तक समाज व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। अगर पिछड़ी जाति का कोई उद्योगपति हो तो ऊँची जाति के लोग उनके पास जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाबासाहब अंबेडकर की पत्नी भी ब्राह्मण परिवार की थी। अगर बाबासाहब अंबेडकर उच्च शिक्षित या इस देश के संविधान निर्माता नहीं होते तो एक ब्राह्मण परिवार की महिला का उनसे विवाह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह एक आर्थिक विषमता का प्रश्न है। आर्थिक विषमता को अगर समाप्त करना है तो हमें उसके लिए प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।

आज हमारी सरकार ने लिबराइजेशन के कदम उठाए हैं। इससे हमारी आर्थिक प्रगति होगी। हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए कई दिशाओं से इसका विरोध किया जा रहा है। इसलिए इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में डा. अम्बेडकर, महात्मा जूले, राजर्षि साहु महाराज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव जी ने इस देश में समाजवाद को लाने की कोशिश की है। उन्होंने इस देश के विकास के लिए कई कदम उठाए। लेकिन कुछ शक्तियाँ इस देश को गरीब रखना चाहती हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Please try to conclude. There are seven members.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूँ ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इस देश में सामाजिक क्रांति करने की कोशिश की है उनकी हत्या की गयी है । महात्मा गांधी की हत्या क्यों की गई ? गांधी जी के कारण हमें आजादी मिली ।

आर्थिक और सामाजिक क्रांति करने के कदम महात्मा गांधी ने उठाए थे इसलिए उनकी हत्या ऊँची जाति के कुछ लोगों ने की । इंदिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित किया था । उससे एक-एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति हो रही थी । इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनायी गयी थी । गरीबों के उत्थान के लिए यह योजना थी । उन्होंने गरीबों को इस देश की स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की । इसी वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता को खो देना पड़ा ।

उसके बाद राजीव गांधी ने इस देश का नतंत्र किया । उन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था । राजीव गांधी आधुनिक भारत को प्रतीक थे । मैंने राजीव जी के साथ काम किया है । वे हमेशा यही सोचते थे कि भारत को आधुनिक बनाना है । इस देश में हर क्षेत्र में नयी तकनीक आ जानी चाहिए । इस देश में विज्ञान और तकनीक को विकसित करने के बारे में सोचते थे और वे भारत को एक शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली और आधुनिक भारत बनाना चाहते थे । वे देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे । वे 21वीं सदी के भारत का सपना देखते थे । ऐसे महान और दूरदर्शी नेता की भी हत्या की गयी ।

यहां एक महिला सदस्या ने कहा कि कांग्रेस को राजनीति करो कुछ और कहो कुछ और ही ऐसा है । जब श्री वी. पी. सिंह की

सरकार बनी तब भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया था और सी. पी. जाई. ने भी समर्थन किया था । लेकिन कांग्रेस ने आज तक भारतीय जनता पार्टी का कभी भी समर्थन नहीं लिया । कांग्रेस दल हमेशा जाति प्रथा के खिलाफ कदम उठाता आ रहा है । कांग्रेस यह कभी भी भूल नहीं सकती कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी । नाथूराम गोडसे आर. एस. एस. का आदमी था । आज भारतीय जनता पार्टी और आर. एस. एस. एक ही हैं यह कांग्रेस कभी भूल नहीं सकती और जो लोग इस बात को भूलते हैं वे कांग्रेस नहीं हैं ऐसा मैं मानता हूँ ।

कांग्रेस दल महात्मा गांधी के बलिदान से बना हुआ दल है । गांधी जी का जो भी सपना था वह पूरा करने वाला कांग्रेस दल ही है । आज नरसिंह राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस यही कदम उठा रही है । वी. पी. सिंह की सरकार जब सत्ता में थी तब कांग्रेस दल विपक्ष में था । लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही थी । बाद में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और वी. पी. सिंह की सरकार गिर गई । कम्युनिस्ट दलों ने भी वी. पी. सिंह का समर्थन किया था । उन दोनों की विचारधारा अलग होने के बावजूद भी वे वी. पी. सिंह का समर्थन कर रहे थे । कांग्रेस दल ने अपने सिद्धांत को कभी भी नहीं छोड़ा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में दो राय नहीं हैं । जब-जब मंडल आयोग पर चर्चा हुई तब-तब कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है ।

निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए । जब उनको लाइसेंस दिया जाता है तब उनसे इस बात का आश्वासन ले लेना चाहिए । जब तक यह कदम नहीं उठाया तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा ।

डा. अम्बेडकर महात्मा कुले आदि ने देश को धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया है। एस. एम. जोशी जैसे कम्युनिस्ट नेता भी महाराष्ट्र में बने एस. एम. जोशी ने भी एक विधवा से शादी की। इस तरह की आदर्श विचारधारा महाराष्ट्र की है।

शिव सेना द्वारा जो विचार आज फैलाए जा रहे हैं उनका महाराष्ट्र की जनता कभी भी समर्थन नहीं करेगी।

महोदय, श्री संघ प्रिय गौतम ने जो संकल्प पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने दल को भी इसमें सम्मिलित करें। भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की विचारधारा अपने घोषणापत्र में सम्मिलित करें।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भविष्य में वह पिछड़ी जातियों के विकास के लिए कदम उठाए और उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

*SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : Mr. Vice-Chairman Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the Private Member's Resolution on bringing constitutional amendment to ensure undisturbed implementation of the reservation Policy in admission in institutions and also promotion and appointment in Central Services moved by my friend Shri Sangh Priya Gautam. At the outset I would like to say that personally I am against any sort of reservation on the basis of Caste, because statistics show that the reservation Policy in Government jobs has benefited only ten to eleven percent of the people in the Country in the last fortyfive years. The Congress Party is only responsible for this situation. If we heartily want to provide benefit to the poorest section of the society, the reservation policy should be on the basis of economic condition of the beneficiary.

Mr. Vice Chairman Sir, this has been expressed by all the eminent economists that unless we carry all sections of the

people with us we cannot imagine all round development of our country. Today the situation is that the rich people are able to provide the best type education, health care and employment etc. to their children. Unfortunately the poor is getting poorer day by day.

My friends Mr. V. M. Jadhav and Smt. Satya Bahin of the Congress Party have already spoken, but unfortunately they have failed to fix the blame on their own party which is actually responsible for the poverty and illiteracy of the SC & ST People in our country. As the misdeed of head of the family is responsible for the decline and fall of a family, in the same way the misdeed of the Congress Party is responsible for the poverty, and unemployment of the people of India. As the clouds cannot cover the shining Sun for a long time in the same way the clouds of deception, hypocrisy cannot hide this truth for a long time. One day the truth that people of India have been let down by the Congress Party will come out.

Mr. Vice-Chairman Sir, now a very dangerous trend of linking religion with politics is emerging in our society. The Bharatiya Janata Party to which the mover of this Resolution Shri S. P. Gautam belongs to is all for linking religion with politics. B.J.P. considers itself to be the champion of the Hindus. Hinduism has never looked down upon the people of the so called lower castes. The great saint Swami Vivekananda once said that if a dog dies of starvation in the country then all the country men share the sin of the death. This is the spirit of the lofty and profound philosophy of Hinduism. Hinduism does not propagate casteism. Hinduism does not preach hatred and violence. Please don't misinterpret scripture of Hinduism for your narrow political ends.

Mr. Vice-Chairman Sir, until and unless we give up hypocrisy from the mind we cannot bring a social change in our society. We should learn to love them. We, Members of Parliament make speeches here in this august House, but we have

*English translation of the original speech delivered in Oriya.

not been able to do anything worthwhile for the sweepers of the toilets of this Parliament who belong to SC/ST community. The oppressed SC & ST people of our country owe it to the father of the nation, Gandhiji and their real leader, Dr. B. R. Ambedkar for the little benefit they are getting today in the name of reservation policy in various fields. Nehru had let down these unfortunate section of the society. The less said the better about Mrs. Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi. It is only my party Janata Dal, which has enkindled a ray of hope in the heart of the SC & ST and backward class people of India. In my State of Orissa, Janata Dal Government is in favour of providing job reservation to the socially and educationally backward people.

Mr. Vice-Chairman Sir, my purpose is not to castigate any political party. Casteism will disintegrate the nation. It will create rift among the people. We should take the poor economic condition of the people to consideration while formulating the policy. It is a human problem, not a Party problem. The country's development is possible only when the economic condition of the poorer sections of the society improves.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, the Minister's intervention. The Minister of State for Social Welfare. (*Interruptions*).

श्री ईश दत्त यादव : हम लोगों का क्या होगा, मान्यवर ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): After the Minister's intervention, if time is there, we will continue.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): To say that the Minister is intervening is to say that the other names are to be dropped. The Minister's intervention must take 10 to 15 minutes at least.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I cannot predict how much time the Minister is going to take.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: I shall take it to be 10 to 15 minutes. The other speakers will not get an opportunity.

SHRI ISH DUTT YADAV: Mr. Vice-Chairman, I will not take more than five minutes.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : मानव औपचारिकता ही करनी है तो क्या फायदा ? यह औपचारिकता तो हम वर्षों से करते चले आए हैं ।

भोलाना ओबंदुल्ला खान आजमी : आधा-आधा घंटा बोले हैं लोग, हमें 5-5 मिनट ही दे दीजिएगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. नारायणसामी) : आजमी साहब, आप जरा बैठिए, थोड़ा बैठिए ।

श्री ईश दत्त यादव : उपसभाध्यक्ष जी, यह तो इनजस्टिस है, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा । इसलिए आप कृपया चार मिनट ही टाईम दे दें, तीन मिनट ही टाईम दे दें । सरकार की बात तो राज सुननी है, हम लोगों की भावनाओं को तो सुनिए ।

भोलाना ओबंदुल्ला खान आजमी : एम. पी. के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है तो इंड्यूल्ड कास्ट के साथ क्या सामाजिक न्याय होगा ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly hear me. (*Interruptions*). Bhattacharyaji, kindly hear me.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: You dispose of the resolution. I am not objecting to that in any way. If the resolution is to be concluded, it is necessary that the Government's points of view should be stated and the mover of the resolution should have something to say. If you like to conclude it that way, I would suggest that it is better to tell us that now the Minister will intervene and thereafter the mover will reply and the others will have to forgo their opportunity on this occasion. I accept that so far as I am concerned.

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : आदमी ही कितने हैं, दो-तीन आदमी होंगे बोलने के लिए। दो-दो तीन-तीन मिनट दे दीजिए ?

श्री ईश दुत यादव : हम लोगों को तीन-तीन मिनट टाइम दे दीजिए, ज्यादा मत दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : It is a question of intervention by the Minister. After the intervention, if there is time, the Members will have the right to speak. (Interruption). If you do not want the Government's points of view, I am prepared to call the other Members.

SHRI ISH DUTT YADAV : We know the Government's points of view since the past 20 to 40 years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : I would like to have the sense of the House. (Interruptions.) If you do not want the points of view of the Government, I will call the other Members. Shri Ish Dutt Yadav. You have only five minutes.

श्री ईश दुत यादव : माननीय उप-सभाध्यक्षजी, मैं बिल्कुल समय इस सदन का नहीं लेना चाहता और न तो अनर्गल बातें इस सदन में उठाना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। मान्यवर, अगर शुरू से यह पावंदी लगाई गई होती तो सबको समय मिल गया होता इस पर अपने विचार रखने के लिए। मान्यवर, संघ प्रिय गीतम जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं इस संकल्प का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संघ प्रिय गीतम जी चाहें जिस भी दल के हों लेकिन मैं इनको जानता हूँ, इनकी भाषाओं को जानता हूँ। गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, पूरे जीवन भर ये संघर्ष करते रहे। इसलिए जो इन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास

किया है, वह ऐसे समय में किया है, मैं केवल तीन-चार घटनाओं को बताकर अपनी बात समाप्त करूँगा।

महोदय, इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा हुई, न्यायालय में उसकी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवम्बर, 1992 को एक निर्णय दिया। सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उस विशेषज्ञ समिति ने 10 मार्च को अपना निर्णय दे दिया और आज इस सदन में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए एक बिल प्रस्तुत है। ऐसे समय में इन्होंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ और इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि इस सरकार की इच्छा नहीं है पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के लिए क्योंकि मान्यवर, कल श्री पी. शिव शंकर जी का जो भाषण हुआ उसके बाद सारा परदाफाश हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सरकार ने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सम्मान देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि निर्णय में कुछ ऐसी बातें आ गईं जिसको तीगल टर्म में आफ्टर-डिकटा कहा गया। आफ्टर-डिकटा उसको कहते हैं मान्यवर, जो कोर्ट के सामने रेफरेंस न हो, कोर्ट के सामने इस न हो और कोर्ट उस पर निर्णय दे दे। कोर्ट ने निर्णय दे दिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में दे दिया, प्रमोशन के बारे में दे दिया। तो मैं आपसे मांग करता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस सरकार को चाहिए कि अगर अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण चाहती है तो सरकार को दूर से ही सही, सैक्शन 5, लिमिटेशन एक्ट का फायदा लेते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिब्यू एप्लीकेशन दाखिल कर देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस पर पुनर्विचार करे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति का जो साढ़े 22 परसेंट का आरक्षण है, वह केवल 10.2 प्रतिशत ही पूरा हो सका। यह सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार की लापरवाही का नतीजा है और सरकार के निकम्मेपन का यह चोटक है कि आज तक सरकार ने संविधान की उन अनुसंधानों को पूरा नहीं किया। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार अब से प्रयास करे कि जो साढ़े 22 परसेंट का रिजर्वेशन है वह जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और मेरी तीसरी मांग है कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो गया, 4 महीने के अंदर रिपोर्ट आ गई एक्सपर्ट कमेटी की, उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का सरकार को चाहिए कि तुरन्त रिजर्वेट कर दे क्योंकि वह निकम्मी रिपोर्ट है और इससे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति का इतना बड़ा अहित होगा जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। समय नहीं है नहीं तो मैं विस्तार से बता देता कि ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट से संविधान की, संविधान निम्नताओं की जो भावनाएं रही हैं, जो मंशा रही है, उनका उल्लंघन हुआ है, उनका अपमान हुआ है।

महोदय, मुझे कष्ट के साथ, बेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य मंत्री श्री थंगाबाळू जी जो हमारे साथी हैं, वे यहां बैठे हुए हैं और श्री सीताराम केसरी जो कल्याण मंत्री हैं, वे सेंट्रल हाल में बैठे हुए हैं। आज पिछड़े वर्ग के प्रति, अनुसूचित जाति के प्रति, जनजाति के प्रति, न कल्याण मंत्री के हृदय में दया है, न उनके दिल में कोई विचार है और न सरकार चाहती है कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति का कल्याण हो।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपके माध्यम से इस निकम्मी सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सरकार अनुसूचित जाति,

जनजाति और पिछड़ी जाति की दुश्मन है और अगर सरकार सही मायने में चाहती है कि इन जातियों को संविधान के अनुसार आरक्षण का कोई लाभ मिले तो सरकार को जो यह पिछड़े वर्ग आयोग का बिल आया है, इसे वापस लेना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी को रिजर्वेट करना चाहिए और एक पूरा बिल लाना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके निर्णय को ध्यान में रखते हुए और जो कमीसी लेंबर की व्यवस्था कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, उसका सही मायने में इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी उसने गलत इंटरप्रिटेशन किया है और गलत इंटरप्रिटेशन से सारे के सारे बैकवार्ड क्लास के लोग संविधान की जो व्यवस्था है, उसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपने समय दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मैं किसी पार्टी के विस्तार में और नहीं जाना चाहता। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Anand Prakash Gautam. Your time is five minutes only because I have to accommodate Bhattacharyaji also.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, आज जो यह संकल्प माननीय गौतम जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए बड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, आपके इस संकल्प में जो मुख्य बातें उभरकर सामने आई हैं, वह हैं केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मेडिकल संस्थानों में भी प्रवेश न होने के कारण इन सब की बड़ी असुविधा हो रही है। सरकारी सेवाओं में प्रोन्नतियों में इनका आरक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ और पदों का आरक्षण

पूरा न होने के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये चार-पांच बातें उभरकर सामने आई हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के विभिन्न उपबंधों में अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जाति के जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग रहे हैं उनको सामाजिक अन्त्या और शोषण के तमाम उपाय हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने निहित किए हैं। ये आरक्षण की व्यवस्था जब से संविधान लागू हुआ है, सन् 1950 से, तब से यह व्यवस्था है और आज तक यह आरक्षण का प्रश्न पूरी तरह से अनिर्णीत है। अभी इसका निर्णय नहीं हो पाया और यह आलोचना का शिकार बनाया जाता रहा है। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि हम वर्षों-वर्षों से इस सदन में भी चर्चा किए हैं, तमाम विधेयकों के माध्यम से और अन्य अवसरों के द्वारा हमने इस बारे में चर्चाएँ की हैं और यह सफल विस्तृत रूप से यहां उपस्थित हुआ है और इस पर चर्चा की है। लेकिन आज भी यह प्रश्न अधूरा है कि आखिर आरक्षण क्यों पूरा नहीं हुआ। उसकी गहराई में हम जाएँ तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति उदनी ताकतवर नहीं है, पूरी इच्छा शक्ति से हम उस काम को नहीं करना चाहते थे और दूसरे यह कि विरोध की मानसिकता नौकरशाही की है। उनकी वजह से हमारे सारे आदेश, निर्देश, संवैधानिक उपबंध एक मज्जाक बनकर रह गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इस दिशा में अमल नहीं करेंगे तब तक यह काम पूरा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। जैसे-जैसे हमारी मांगें बढ़ी, या इनमें जागरूकता आई, जो उद्योग, व्यापार, एजेंसी, लाइसेंस, कोटा, परमिट में भी हमें आरक्षण मिला लेकिन सत्र में उसी

तरह का है। आप विचार करें कि सरकारी संस्थाओं, निगमों, उपक्रमों में इसका उपहास, मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। यही कारण है जिनकी वजह से इस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वे दूसरी तरीके से इन्टरप्रेट करके इसको अलग कर देते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ आरक्षण समाप्त करने का कि अगर कोई बात बखबार में भी आ जाए तो वह तुरन्त समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि आरक्षण लागू करने का कोई आदेश हो तो उनके लिए विभागाध्यक्ष यह कहते हैं कि हमारे पास सरकार का लिखित जवाब नहीं आया है। यही वह मानसिकता है। यहां पर हम बैठकर चर्चा करते हैं, पच्चीसों बार इसके चर्चा हो चुकी है। सरकार हमारे निर्देशों को मानती है। यह ऐसा स्थान है, लोकतांत्रिक प्रणाली और संसदीय प्रणाली में राज्य सभा सबसे ऊपर की पंचायत है। संविधान के प्रावधानों की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है।

संवैधानिक अधिकारों व हितों से जाहृत होने पर यहां गृहार लगाई जा सकती है। लेकिन अगर हम अपने गिरनेबान में झाँक कर देखें तो चिराग के नीचे बंधेरा ही आता है। जब हम अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं।*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Gautam, service matters relating to the Rajya Sabha are not raised in this House. You know that. You are a senior Member of the House. It can never be raised in the House. Kindly withdraw those remarks. That has to be removed from the record.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : वापस करना चाहता हूँ यदि कोई अनियमितता हो गई है तो। लेकिन सच्चाई है इसको अपने आप में भा देना पड़ेगा।

आरक्षण पूरा करने की इच्छा शक्ति का अभाव तो है ही। मैं एक उदाहरण देना

* Expunged as ordered by the Chair.

चाहता हूँ और उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूँगा। 1989 में बहुत जोरों से प्रचार हुआ सरकार की तरफ से कि विशेष व्यवस्था के कारण स्पेदल प्रोग्राम लागू करके बैकवर्ड क्लास के पद भरे जाते हैं। उसबारों में भी आया। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने बहुत जोर शोर से प्रचार किया था तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग बड़े खुश हुए कि अब तो पूरा हो ही जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति के बारे में, जो कागज पर लिखकर कार्मिक विभाग के राजाजा गई, आज हमारे पास उसकी संख्या नहीं है, तारीख नहीं है, चाहेंगे तो मैं उसको बता दूँगा, स्पष्ट रूप से उसमें विभागों को लिख कर गया था कि यदि आवश्यक न हो तो आरक्षण पूरा न किया जाए। यह साफ लिखा है राजाजा में। किसी विभाग ने कोई आरक्षण पूरा करने की आवश्यकता नहीं समझी। केवल पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सत्ता में बैठने वाली पार्टी हो, चाहे खिलाफ पार्टी हो सब पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए हमारी बात करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई में इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार पूरा करे यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष के साथियों की भी जिम्मेदारी है। क्या हमने कभी इस संबंध में कोई आन्दोलन खड़ा किया? सरकार मजबूर हो जानी करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर भी इच्छा शक्ति की कमी है। हम पार्टियों में पूरा नहीं कर पाते इस आरक्षण को, इस नीति को लागू नहीं कर पाते पूरी तरह से। अब तक हम लोग इसको पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसमें कई बार एक सझाव आया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति कर्मचारियों के जो संगठन हैं इनको मान्यता दे दी जाए। इससे उनकी बातों को सुनने का अवसर मिलेगा और शायद इसमें कुछ मदद मिल सके। लेकिन

अभी तक की सरकारों ने कहा कि जाति के आधार पर हम सरकारी कर्मचारियों को यूनि-यंस और एसोसिएशंस को मान्यता नहीं देंगे। संविधान में साफ कहा गया है कि जाति, लिंग के आधार पर कहीं कोई भेद नहीं किया जाएगा। उसी संविधान में मूल अधिकारों में यह है कि कोई भी व्यक्ति, एसोसिएशन, यूनिशन बनाने की पूरी सविधा है। तो यह कहाँ गड़बड़ है? कार्मिक विभाग की ओर से अब तक स्पष्ट कहा गया है, कई बार जवाब दिया गया है यूनियंस को कि अनुसूचित जाति, जनजाति की एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी जा सकती। इसलिए कि ये जाति के आधार पर बनती हैं। अरे भई, अनुसूचित जाति, जनजाति कौन सी जाति है? इसमें तो सारी जातियां हैं, कोई एक जाति नहीं है इसलिए यह संविधान का मजाक उड़ाने की बात है, हमारे अधिकारों को नकारने की बात है। मैं अभी बात को समाप्त करते हुए माननीय गौतम जी से अनुरोध करूँगा कि मेरे दो-चार सझाव हैं वे अपने संकल्प में जोड़ने का काम करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gautam, you are going to speak on the National Commission for Backward Classes Bill. So, you can make your suggestions there. I have to accommodate another Member, Shri Bhattacharya.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : समय के अभाव में मैं जानता हूँ आपकी क्या मजबूरी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सरकार और हम लोग पूरी तरह से यह मेच लें कि इसको पूरा करना है, इस आरक्षण को पूरा करना है तो हम पूरी तरह से इसे लागू कर सकते हैं। एक बात और अंतिम कह कर समाप्त करूँगा कि उद्योगों में भी हमारा आरक्षण है। लेकिन केसरी जी बैठे हैं इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ।

बड़ी उदारतापूर्वक गौतम जी ने कहा था कि मूर्गी पालन के लिए और सूअर पालन के

लिए सरकार सहायता देती है। सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है कि बड़े उद्योगों के लिए, बसों के लिए परमिट सरकार देती है। लेकिन बस परमिट खरीदने के लिए जितने अकड़ंगे और दिक्कतें पैदा की जा सकती हैं वह सारी पैदा की जा रही है और केंसरी जी बैठे देख रहे हैं। लोग भटक रहे हैं। कृपया उनको ऋण मुहैया कीजिए। अपने उसके लिए विधान बनाया है उसका पालन करवाइए और तब आकर आपकी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन होगा। मेरा विश्वास है कि यह आरक्षण पूरा हो सकेगा अगर अपने अपना मन बना लिया है तो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Prof. Saurin Bhattacharya—you have to conclude within three minutes.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Mr. Vice-Chairman, I surrender my time in favour either of the Government or of Mr. Sangh Priya Gautam or Mr. Azmi with a vote of thanks to the Chair.

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केंसरी) : मान्यवर, तीन मिनट में उत्तर देने का मुझे आदेश हुआ है। मैं इन तीन मिनटों में तीन बातें कर देना चाहता हूँ। इसी सदन में मैंने एक आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रमोशन में आरक्षण का अवरोध है तो मैंने साफ कहा था कि हमारी सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में इसको मैंने कहा था कि हम इसका सृजन किस हालत में नहीं करेंगे, अगर ऐसा है तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस तरह का होगा तो सभी दलों से बात करके वर्तमान में किसी हालत में भी हमारी प्रतिबद्धता जो है शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हित में बरकरार रहेगी, बराबर रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने सभी बंधुओं को और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। समय के अभाव में मैं सभी का उत्तर नहीं दे सकता।

मोलाना औबेदुल्ला खान आज़मी : समय तो हमें भी नहीं मिला।

श्री सीताराम केंसरी : मैं उत्तर देना चाहता था।

श्री संघ प्रिय गौतम : प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त नहीं होगा, ऐसा आश्वासन दे दीजिए।

श्री सीताराम केंसरी : मैंने साफ कहा है, फिर दोहरा देता हूँ।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Mr. Kesri, you should also thank me for the loan given by me.

SHRI SITARAM KESRI : Thank you.

सभी सदस्यों के उत्तर समय के अभाव के कारण नहीं दे सका। लेकिन जो मूल प्रश्न मेरे गौतम जी ने उठाया था उसका उत्तर मैंने दिया है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने रिजोल्यूशन को विषड्डा कर लें।

श्री संघ प्रिय गौतम : अगर आप आश्वासन देते हैं तो तभी मैं विदड्डा करूंगा। एक तो शिक्षण संस्थाओं में मेडिकल और टीचिंग कल संस्थाओं में प्रवेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। आरक्षण रहना चाहिए और मेरा कहना यह कि प्रोन्नति में आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। इन दोनों में आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। अगर आप ऐसा आश्वासन देते हैं तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

श्री सीताराम केंसरी : मैं पुनः कहता हूँ कि इस सदन में मैंने अपना वक्तव्य दिया है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में उस पर पूरी प्रतिबद्धता हमारी सरकार की है और जो हमारे संविधान में

है उसके प्रति हम काटवद्ध हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री शंकर बहाल सिंह (बिहार) : उन्होंने कहा है, मेरे गौतम जी ने, इस पर आप उनकी भावनाओं को समझिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Now, the time is over.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Let him repeat this sentence.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : The Private Members Resolution could not be concluded. Now, we will take up the Statutory Resolution....

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh) : Sir, only five special mentions are there which can be finished within 15 minutes. We want that Special Mentions should be taken first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : We have got other business. Just a minute. Mr. Sarang wants to make a mention.

Re threat to the life of Shri Kailash Narain Sarang, Member, Rajya Sabha.

श्री कलैश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ और इस सदन में अपनी सुरक्षा की मांग करता हूँ कि पिछले शुक्रवार को बम्बई में ब्रम विस्फोट के दौरान तीन सौ से अधिक लोगों की जानें गई हैं।

1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति की हानि हुई है। इस घटना के प्रति हम लोगों ने अपनी समवेदना भी प्रकट की है। अभी जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए हैं। एक

अभियुक्त भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। भोपाल नगर मेरा गृह नगर है। मैं वहाँ पिछले 50 वर्षों से रहता हूँ। इससे पहले दो टुक विस्फोटक सामग्री भोपाल और भोपाल के आसपास पकड़ी गयी है। आज के समाचार-पत्रों में आसंका व्यक्त की गयी है कि इस प्रकरण का मुख्य अभियुक्त पीलू साँ, मंगेश और अन्य दूसरे अभियुक्त भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य नगरों में छिपे हुए हैं। अब क्योंकि विस्फोटक सामग्री भी पकड़ी है और साथ ही रूसी पठान भी पकड़ा गया है तो इससे मध्य प्रदेश और भोपाल में एक खतरा और आतंक व्याप्त हो गया है।

महोदय, संरक्षण मैं यह चाहता हूँ कि कल माननीय राजेश पायलट जी, जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कलकत्ता के संबंध में एक वक्तव्य सदन में दिया था। उस वक्तव्य के बाद मैंने अपना स्पष्टीकरण पूछते हुए भोपाल के उस पकड़े हुए व्यक्ति का जिक्र किया था। रात को 12.30 बजे के करीब मुझे एक फोन आया। उसमें मुझे कहा गया कि सारंग साहब मैं आपका एक हमदर्द बोल रहा हूँ। आप रूसी भाई का नाम स्वाहाभस्वाहा क्यों ले रहे हैं। यह ठीक नहीं है, आगे आपकी मर्जी। महोदय, इसके बाद फोन कट गया। उस व्यक्ति का वैसे भी मैंने कल सदन में स्वयं नाम नहीं लिया था। केवल यह कहा था कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है और मुझे इस प्रकार का फोन मिला। आज तो यह देशभर के तमाम समाचार-पत्रों में छा है। महोदय, दूध की बात यह है कि इन अपराधी लोगों को हमारे ही कांग्रेस के कुछ बड़े-बड़े नेता और मंत्रियों का प्रश्रय प्राप्त है। आज भी राष्ट्रीय सहारा अखबार को अगर आप देखें तो पाएंगे कि उसमें रूसी पठान का फोटो छपा है, बड़े-बड़े नेताओं के साथ। इस पत्र ने यह भी लिखा है कि गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट—मुख्य बात मैं आपको समझ

यह कहना चाहता हूँ कि राजेश पायलट कल रात को जब भोपाल गए तो वही पठान के 6 साथियों की गिरफ्तारी भोपाल में होने वाली थी। इस समाचार-पत्र ने यह लिखा है कि राजेश पायलट ने उस गिरफ्तारी को रोक दिया है। क्या ऐसी स्थिति में आशा की जा सकती है कि सरकार दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दोषी व्यक्तियों को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा हो? साथ ही इस सदन से और आपसे मैं अपनी सुरक्षा की मांग करता हूँ। मेरी जान को पूरा खतरा है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। भोपाल के सारे जन-जीवन से मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने कल उसका नाम भी नहीं लिया, उसके बाद भी अगर उसकी यह हिम्मत है कि वह रात 12.30 बजे फोन करता है तो यह गंभीर मामला है। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे आप ने कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We will now take up National Commission for Backward Classes. Shri Satya Prakash Malaviya... (Interruptions)...

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Sir, what about my point of order... (Interruptions)... What is your ruling on my point of order?... (Interruptions)... I had requested you to take up special mentions first... (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): That is not point of order. It is only point of information. Now we have to take up Government business. There are only four to five speakers and after finishing with the Bill we will take up special mentions.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Sir, what about the Minister's reply. Is he going to reply today?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister will reply today after the discussion... (Interruptions)...

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Mr. Vice-Chairman, Sir, may I make a small request. There are only five persons who want to make special mentions. I will request you—you may give only 15 to 20 minutes—to take up special mentions first. Therefore, why don't you finish special mentions first and then take up the Bill? The hon. Minister has just replied and he might want to have a breather and have a cup of tea or something. So, give him five or ten minutes to relax. After special mentions, you can take up the Bill. I think he will also agree to it. We will all be here. Don't worry.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: I have no objection to it. But by the time the hon. Minister makes his reply, he will be the only man remaining in the House. May be, you will be there in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly hear me. Special mentions will normally be taken up as the last item of the agenda... (Interruptions)

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: No. Never.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): When it could not be carried on... (Interruptions)

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: We always take up special mentions after the Zero Hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We can do one thing. There are only three or four Members left to speak on the Bill. The Minister may reply on Monday. These speakers may not take more than 20 to 25 minutes. Then special mentions can be taken up. Now, Shri Malaviya. Not here... (Interruptions)

SHRI MENTAY PADMANABHAM: This is a very important Bill and every Member is interested in hearing the reply of the Minister. So, let the Minister reply

on Monday in the presence of all the Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : That is good.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : It does not mean that the Minister can go away. Let the Minister listen to the speeches of the Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Kindly be brief.

SHRI S. MUTHU MANI : Sir, I am the only speaker from my party. But, I shall cooperate fully... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : You kindly speak.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ORDINANCE, 1993

II. THE NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES, BILL, 1993— Contd.

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, the Bill is the result of the judgement of the Supreme Court delivered on 16th November last year wherein the apex Court endorsed the view that the backward classes needed to be given reservation in job opportunities. However, I have some observations to make. Clause 2 of Chapter 2 of the Bill which provides for the constitution of the Commission says that there shall be five members in all—A retired judge who will be the chairperson, a social scientist, two persons who are experts on matters related to backward classes and an official of the Central Government. I do not understand the rationale behind this composition. The absence of provision to appoint some members from among the backward classes can lead to mistrust. No degree of special knowledge about backward classes can give a person the proper understanding of a backward class unless he hails from a backward class. The historical discrimination suffered by backward classes, the nuances of diverse socio-economic problems, their priorities and such other matters related to them can be understood in

their true spirit only by persons hailing from that community. Hence I feel that majority members should be from among backward classes. Other than the Chairperson and Member-Secretary, the rest of the members should be taken from the backward communities. I sincerely hope that the Government will take note of this feeling.

According to the judgement, the Central and the State Governments have the power to create a permanent mechanism in the nature of a Commission for examining requests of inclusion and complaints of over-inclusion or non-inclusion which shall ordinarily be binding upon the Governments. If the Government does not accept the advice, it must record its reasons. But in Chapter 3, Clause 9 (2) of the Bill merely says, "The advice of the Commission shall ordinarily be binding upon the Central Government." There is no mention of what the Court has observed in case of non-acceptance of the advice of the Commission. Unless the Government is bound by law to substantiate the reasons for non-acceptance of the Commission's advice by recording its reasons, the Commission will be reduced to the level of a puppet. So, I request the hon. Minister to look into this observation and do the needful.

Sir, I have a pertinent point to make. Clause 11 of the Bill says that the Government, after 10 years or even earlier if it thinks fit, can undertake revision of the lists with a view to excluding from such lists those classes who have ceased to be backward classes. It seems to me to be a thoughtless provision without augural insight.

We have had reservation for SC/STs for over 40 years. But so far we have not been able to fill up even the backlog of vacancies reserved for them. Then, how does the Government think of excluding certain backward classes from the list after just 10 years? This is an unwanted provision and it must be removed from the Bill. Having described them as socially and educationally backward, the Government has failed to provide them reservation in educational institutions. It will be diffi-